GOVERNMENT BILLS

*The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): सभापति महोदय, कल मैंने अपने भाषण का अंत जिस बात से किया था, आज मैं उसी बात से अपना भाषण शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि लैंटेना एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, जिसका भारत में आने से क्या दुष्प्रभाव हुआ, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कर्णाटक में एक सोलिगा ट्राइब है। यह ट्राइब मूलत: पशुओं के ऊपर निर्भर रहती थी, लेकिन जब से लैंटेना का प्रसार हुआ, तब से पशुओं की स्थिति खराब हुई और वहाँ की पूरी ईकोलॉजी बदल गई। आज उस ट्राइब के जीवनयापन की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है।

सर, इसका सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक लम्बे समय तक एक महत्वपूर्ण विषय को नज़रअंदाज़ किया है। आज इसी कारण बहुत ही सोच-समझकर जब इस अमेंडमेंट बिल को लाया जा रहा है, तो उसके पीछे का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था, देश के पर्यावरण को बचाना है। कच्छ में विलायती बबूल को लाया गया था। वहाँ जो ट्राइब है, उसका नाम मालधारी ट्राइब है। मालधारी का तात्पर्य होता है, वैसे लोग जो जानवरों को रखते थे, यानी एनिमल कीपर्स। मालधारी ट्राइब जिस जगह से अपने जानवरों के लिए चारा लेती थी, वहाँ की भूमि की प्रकृति बदल गई और विलायती बबूल के कारण उस भूमि पर रहने वाले मालधारी, जो कि जानवरों को रखने वाले माने जाते थे, अब बबूलधारी बन गए हैं। यानी, जब इन्वेज़न होता है, तो इन्वेज़न उसी तरह से है जैसे कभी राजनीतिक रूप से इन्वेज़न होता था, आक्रमण होता था। आज पर्यावरण पर यह आक्रमण हो रहा है और इस आक्रमण के कारण हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे पशु-पक्षियों को कोलोनाइज़ किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि एक्सटिंक्शन किस कगार पर हो रहा है।

केरल के हमारे मित्र कल कह रहे थे कि राज्य सरकारों से सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। वे शायद इस बात को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं कि केरल में वर्ष 2020 में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम था, उसकी संख्या 151 थी, जो कि वर्ष 2021 में बढ़कर 303 हो गई है, यानी उसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केरल में 64 ऐसी बर्ड्स स्पीशीज़ हैं, जो समाप्त होने के कगार पर हैं, एन्डेंजर्ड बर्ड्स स्पीशीज़ हैं। इसलिए, गिद्धों की दो प्रजातियाँ हैं, जिनमें से एक को रेड रिंग वल्चर कहते हैं। इसी प्रकार, केरल में कुछ पशु इसलिए एन्डेंजर्ड हो गए हैं, क्योंकि इन्वेसिव, यानी बाहर से कुछ पशुओं का आना हुआ है। इसी कारण, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गैर-राजनीतिक विषय पर सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रजातियों की रक्षा करने के लिए

*Further consideration continued on a motion moved on 7th December, 2022.

जो यह बिल लाया गया है, यह एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। सभापति महोदय, तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनके कारण ये खतरे बढ़ रहे हैं।

एक कारण यह है कि चीन, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों में जो परम्परागत दवाइयां हैं, उन दवाइयों में पशुओं के अंगों का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। आज चीन में परम्परागत दवाई की मार्केट 600 बिलियन डॉलर की है और यह 11 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसका प्रभाव न सिर्फ भारत पर, बल्कि अफ्रीकी देशों पर भी है। यही कारण है कि इस कानून को और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

दूसरा बड़ा कारण है, जो खास तौर पर मछलियों के बारे में है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वेस्टर्न घाट्स में 300 प्रकार की मछलियां पायी जाती हैं, उनमें 155 प्रकार की मछलियां ऑर्नामेंटल मछलियां हैं। उनमें कुछ प्रजातियों की ट्रैफिकिंग अनसाइंटिफिक रूप से हुई है, बिना किसी लाइसेंस के हुई है, जिसके कारण Channa Barca, Zebra Loach, Snakehead आदि ऐसी कुछ प्रजातियां समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अब ऑर्नामेंटल रीजन तो यह बना।

इसी तरह से स्टार कछुआ है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मांग भारत के स्टार कछुए की है। भारत में यह एन्डेंजर्ड स्पीशीज़ बनती जा रही है। उसी प्रकार से तोते की 12 नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो देश में हैं। उनमें से 8 स्पीशीज़ समाप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। आज पूरे सदन को आत्मालोचन करना पड़ेगा। जब मैंने प्रधान मंत्री जी को चीता लाने के लिए बधाई दी, पर्यावरण मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए बधाई दी, उसके पीछे यह कर्मकांड नहीं था, दलीय कर्मकांड नहीं था। पिछले 70 सालों में आपने जीवन मूल्य से जुड़ी हुई आधारभूत चीज़ों की उपेक्षा की है। आपकी नज़र में यह महत्वहीन था और महत्वहीन होने के कारण ही एक समानान्तर अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र में विकसित हुई। अमेरिका की प्रति वर्ष 120 बिलियन डॉलर की वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है। दूसरे स्थान पर भारत है, जहां 91 बिलयन डॉलर की वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है।

महोदय, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कभी-कभी हम गलतियां करते हैं और गलतियां व्यक्तिगत स्तर पर होती हैं। एक व्यक्ति 'Giant African Snail' यानी घोंघा को मॉरीशस से लाया। इसको लाने के पीछे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन यह क्यूरियोसिटी किस प्रकार से एक डिज़ास्टर में परिवर्तित हो गई, उसकी तादाद बढ़ी। केरल और असम में इसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि वहां की फसल नष्ट हो रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश को एक ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है और सख्त कानून में हम उस फ्रेज़ को न भूलें कि Everybody's responsibility is nobody's responsibility. इसी कारण से केंद्र सरकार अपने ऊपर यह ज़िम्मेदारी ले रही है।

मैं नॉर्थ-ईस्ट का एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। दुनिया के जो सबसे विकसित बायो-डायवर्सिटीज़ के केन्द्र हैं, उनमें से एक नॉर्थ-ईस्ट है। नॉर्थ-ईस्ट में 106 ऐसी प्रजातियां हैं, जो नष्ट होने की कगार पर हैं। इसका कारण है कि किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से पूरे देश में हमने उन चीज़ों का न सर्वेक्षण किया, न उनकी घटती संख्या पर ध्यान दिया, उसके कारणों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और प्रकृति पर सब कुछ छोड़ दिया। यही कारण है कि नॉर्थ-ईस्ट की स्पीशीज़ समाप्त हो रही हैं।

इसी तरह नॉर्थ-ईस्ट में काज़ीरंगा नेशनल पार्क है। महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 1968 से लेकर 2017 के बीच में 771 गैंडों की हत्या की गई। सिर्फ व्यापार करने के लिए शिकारियों के द्वारा वे मारे गए। उनकी कुल संख्या ही 2,200 थी, जिसमें से 771 को समाप्त कर दिया गया। केवल मुट्ठी भर लोग जो 91 बिलियन डॉलर कमाने के लिए सिर्फ देश की अस्मिता के साथ ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और इस देश के मूल आधार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे अस्तित्व को मिटाने पर लगे हुए हैं। इसलिए इस बिल की आवश्यकता थी। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि जब यह कानून बनेगा और पारित भी होना ही है, तो इससे तीन लाभ होंगे। पहला, ऐसी ताकतें जो अब तक छिपी हुई हैं, जैसा मैंने 91 बिलियन डॉलर के बारे में बताया, यह तो सिर्फ ट्रैफिकिंग के बारे में है, उसको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, इन्वेसिव प्लांट्स को मैनेज करने और कंट्रोल करने में जो खर्च होता है, वह इसमें शामिल नहीं है। पहली बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। दूसरा, इकोलॉजी के बारे में है। इकोलॉजी का बैलेंस बिगड़ने से बचेगा और तीसरा यह है कि अमेरिका जैसे देश में, जिसकी नर्सरी में साठ हज़ार इन्वेसिव प्लांट्स बिकने के लिए हैं और जो हमारे यहां गलत रास्ते से लाए जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर एक रुकावट लगेगी। चीन जैसा देश जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हमारे यहां से गैंडे के सींग की ट्रैफिकिंग कराता है, उस पर रोक लगेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। कृपया संघवाद के नाम पर एक ऐसे कानून का, एक ऐसे संशोधन का विरोध मत कीजिए, जिस संशोधन का विरोध करने से इस देश के अस्तित्व पर खतरा आता है। आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघवाद का सहारा मत लीजिए। इस देश का संघवाद प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कोऑपरेटिव फैड्रलिज़्म में सबसे अधिक संवर्धित और सुरक्षित है और जो भी कानून बन रहा है, वह संवर्धित और सुरक्षित करने के लिए बन रहा है। एक राष्ट्र के लिए, प्रगति करने के लिए और आसमान छूने के लिए वह प्रयास करना पड़ता है, जिस प्रयास से सिर्फ स्वयं का ही नहीं, बल्कि जिसे आप पराया मानते हैं, जिसे पश्चिम का देश भौतिकता के आधार पर देखता रहा, उसका हम संरक्षण करें। इसलिए आज हमारे फॉरेस्ट के कवर में वृद्धि में हो रही है। वर्ष 2014 के बाद से फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नया भारत, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एन्वायर्नमेन्ट, तीनों को संबोधित करते हुए इस कानून को ला रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस कानून का समर्थन कीजिए। विरोध के कर्मकांड से बाहर निकलकर, गैर राजनीतिक मसलों पर, जैसा माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ऐसे मुद्दे और मसले होते हैं, जहां हमें राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है, दलीय परिधि को तोड़ना होता है और यह तोड़ना ही राष्ट्र का संरक्षण और संवर्धन होता है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आज हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, निश्चित ही जिसकी आवश्यकता हम सब लोगों को महसूस होती है। मैं इस विभाग के मंत्री और हमारे मित्र श्री भूपेन्द्र यादव जी को भी बधाई दूंगा। यह बात ठीक है कि कुछ पहलुओं पर हमारे और सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है, इससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। कहीं न कहीं पर्यावरण और विकास का संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक

है, लेकिन 135 करोड़ की आबादी के विकास को और उनके जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए हमें फाइन बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा।

हमारे देश में पर्यावरण के बारे में हम लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री भी यहां बैठे हैं और वर्तमान मंत्री भी यहां हैं। कुछ चीज़ों में हमारे और इनके मतभेद भी होते थे। इसकी उनको भी जानकारी है, लेकिन मुद्दा यह है कि विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह गोंदिया जिला है, महाराष्ट्र का अंतिम जिला है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। सारे जो नेशनल रिज़र्व्स हैं, पेंच हो, ताडोबा हो, कान्हा हो, नागजीरा हो, ये सारे महत्वपूर्ण जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, ये उस परिसर में आते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा-बहुत वहां का अनुभव भी है। हम लोग वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए हमेशा चर्चा करते हैं। 'प्रोटेक्ट द टाइगर', 'सेव द टाइगर' - यह बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी भी जो वन्य प्राणी हैं, चाहे वे एलिफेन्ट्स हों या बाकी के भी जो हमारे देश में इंडिजिनस बहुत सारे प्राणी हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए। यह समय की भी जरूरत है और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। हम वन्य प्राणियों में अकसर देखते हैं खासकर टाइगर, लेपर्ड, जो कि बाकी के पशुओं और यहां तक कि ह्यूमन बीइंग्ज़ को अटैक करते हैं, ये अपने-अपने क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं और ह्यूमन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। मैं थोड़ा बहुत अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जैसे टाइगर रिज़र्व है या कोई भी सैंक्चुअरी है, वहां केवल टाइगर ही नहीं होते हैं, बल्कि और भी प्राणी होते हैं। उस रिज़र्व में एक जमाना ऐसा था कि जब हम वहां बचपन में भी जाते थे, सर्च लाइट लेकर जीपों में खड़े होकर जाते थे, तो इतने सारे प्राणी नजर आते थे। वहां टाइगर तो शायद ही मिलता था, क्योंकि वह हर जगह तो कहीं घूमता नहीं है। टाइगर की संख्या भी बढ़िया थी, लेकिन नील गाय हो, चीतल हो, सांभर हो, भालू हो, बाइसन हो, ऐसे कई प्राणी हमें जंगलों में बहुत बड़ी मात्रा में नजर आते थे। आज आप उन्हीं जंगलों में जाएंगे, तो आपको नील गाय, सांभर, चीतल या अन्य जो भी प्राणी हो, जिनको ग्रेज़िंग एनिमल्स कहते हैं, ये अब हमें उस संख्या में नजर नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे कि शेर, चीता या लेपर्ड हो, चीता अभी आया है, लेकिन लेपर्ड को अभी भी सामान्यतः हमारे गांव में चीता ही बोलते हैं, क्योंकि स्पॉटेड है, इन सभी प्राणियों को उनका जो प्रे चाहिए - वह क्या खाएगा, वह घास तो नहीं खाएगा - उसको उसका शिकार चाहिए और उस शिकार की मात्रा कम होती जा रही है।

महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपके बाकी के सभी प्रयास सराहनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, आप उसमें जरूर आगे बढ़िए, लेकिन इस आस्पेक्ट को जरूर ध्यान में रखिए। आज मुम्बई जैसे शहर में संजय गांधी नेशनल पार्क है। उस पार्क के चीते, वहां के लेपर्ड जो हैं, वे पूरे शहरों में आ रहे हैं। आज मुम्बई जैसे शहर में, बॉर्डर पर चीते आते हैं और लोगों को और अन्य जीवों को, चाहे वह कुत्ता हो, गाय हो या अन्य पशु हो या इंसान हों या बच्चे हों, उनको भी खाने का काम करते हैं, क्योंकि उनका नैचुरल शिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। मेरा यही निवेदन है कि आप इस बारे में बहुत ध्यान दीजिए।

दूसरा, जो सड़कें बनती हैं, नेशनल हाइवेज़ बनते हैं, वहां पर हम लोग काम रोक देते हैं, नेचुरली ठीक है कि पर्यावरण की बात है, लेकिन एक कॉमन पॉलिसी, एक नीति बना दीजिए कि अगर नेशनल हाइवे है, वह कहीं किसी फॉरेस्ट एरिया में से जाता है, तो किस तरह से वहां पर

वायर डक्ट बनाए जाएं या किस तरह से अंडरपासेज़ हों। अगर नेशनल हाइवे के किसी पोर्शन का काम बार-बार एनजीटी में जाएगा, तो उस पोर्शन की क्लीयरेंस को दस-दस साल तक मान्यता नहीं मिलेगी। So, why don't we have a national policy where roads are going to be required and development cannot stop? आप उसकी एक नीति बना लीजिए, यह बहुत जरूरी है।

सभापति जी, मेरा एक तीसरा और अंतिम निवेदन यह है कि हम महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र में आते हैं, वह विदर्भ का इलाका माना जाता है। हमारे तन्खा जी जानते हैं कि एक ज़माने में वह सी.पी. एंड बेरार का हिस्सा था। 1960 में, जब सी.पी. एंड बेरार स्टेट्स का रिऑर्गनाइजेशन हुआ, तब महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश बना, फिर बाद में छत्तीसगढ़ बना। वहाँ पर जो जमीन थी, वह डीग्रेडेड फॉरेस्ट, जिसका नाम हमारे महाराष्ट्र में झुड़पी जंगल एक नॉमेनक्लेचर रह गया है। उन्होंने वह नॉमेनक्लेचर मध्य प्रदेश में हटा दिया, उसको रेवेन्यू फॉरेस्ट कर दिया। सर, रेवेन्यू फॉरेस्ट में डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन झुड़पी जंगल का नॉमेनक्लेचर जंगल की परिभाषा में ही रह गया। आज चाहे नागपुर का हाई कोर्ट हो, नागपुर में विधान सभा हो, परंतु ये सारे फॉरेस्ट एरिया में, झुड़पी जंगल के परिसर में बने हुए हैं। सर, ऐसा कहने का मतलब यह है कि पुराने ज़माने में इस कानून के आने से पूर्व विकास हो सकता था। अब वहाँ पर चाहे इर्रिगेशन प्रोजेक्ट हो, रोड हो, गाँव का एक स्कूल हो, गाँव में विकास का और कोई काम हो, उन सभी के लिए फॉरेस्ट की वजह से, झुड़पी जंगल नॉमेनक्लेचर की वजह से आज हमें परेशानी होती है। यह अकेले मेरे एरिया की नहीं, बल्कि पूरे विदर्भ की बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में जरूर विचार कीजिए। जयराम रमेश जी के समय में, कमल नाथ जी और अन्य कई लोगों के वक्त में पहले प्रयास हुए हैं, अतः इसकी भी एक सखोल नीति बनाइए, जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, वहाँ के वन्य क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए और जो एक गलत तरह का - केवल नॉमेनक्लेचर जो 1960 में स्टेट्स का रिऑर्गनाइजेशन होने के बाद नहीं बदल पाया है और अगर उसकी वजह से यह नुक़सान हो रहा है, तो इसका कुछ न कुछ मार्ग निकाला जाए। मैं आपके इस बिल की सराहना करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपको हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KUMAR KETKAR (Maharashtra): Sir, at the outset, I welcome this Amendment Bill, but let us not forget that there is a tendency these days to forget the legacy of such very important Acts. This legislation, which is being amended now, was made in 1972, and that year is important because that very year, the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, addressed a conference, the Earth Conference, in Stockholm, in 1972 and, that led, by her personal initiative, to create this Act. Not only Project Tiger but she was also concerned about all other animals from crocodiles to lions and every other single animal in jungles or in the sea, including the fish. That legacy is necessary to be remembered when we amend this because she was particular in seeing that the jungles are not devastated or destroyed. At present, when we are talking here about this Act, Nicobar jungles are being completely ruined and removed.

Nicobar jungles are being removed for the benefit of some corporates. So, essentially, the wildlife is actually attacked not by humans as such but by the corporates and, some times, by the celebrity Bollywood-types. It is necessary to remember. अभी राकेश जी ने कहा कि सख्त कानून होना चाहिए। सर, सिर्फ कानून सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इम्प्लिमेंटेशन भी सख्त होना चाहिए, लेकिन उसका सख्त इम्प्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए corporates are actually using their money power or muscle power or their contacts, in the bureaucracy and in the Government, to destroy jungles. When jungles are gone, the wildlife is gone.

Another thing that is necessary to be noticed is that wildlife, jungles and human habitats are closely linked and related; one without the other is not possible. We talk about the climate change. While talking about climate change, we generally don't talk about wildlife, migration of birds and things like that. Sir, climate change is directly concerned with the protection of wildlife, protection of birds and creating environment for them. When we talk about environment, we must also talk about the creation of environment for them to survive and grow.

When Project Tiger was announced, there was a considerable discussion about it. Thankfully, there was a lot of support. But, today this issue has come because the real estate sharks and corporates are devastating jungles and creating problems for the wildlife.

It is also necessary to remember that from Jim Corbett to Salim Ali, so many people have written about the jungles of India. In fact, these jungles, the forest life, the flora and fauna were the main thing that attracted Europeans. Not only the spices in South India, but also the flora and fauna had attracted the Europeans. So, we are actually ruining the flora and fauna and I don't think we particularly care about it. I don't see any discussion. For instance, you talk about bio-diversity, but not a single university has any syllabus and discussion and studies or research projects done on bio-diversity. I think only one university has just started a bio-diversity subject, but otherwise, most universities ignore bio-diversity subject completely. As a result, the youth or the students or the academicians generally do not have any knowledge of the necessity of wildlife connected with climate change. Climate change is only more talked about and not actually implemented and that implementation will begin from the education sector, university sector, school sector where the wildlife needs to be actually promoted. Wildlife cannot be promoted merely by creating Acts. Another point that I must mention here is, a number of species that are declining in India has crossed 30,000. Globally, some one lakh species are actually gone forever and protection of species will happen only if the Government is serious and strict about implementing this. I will just mention my final point in one more minute. When our

former Prime Minister had gone to Mussoorie, she said that jungles are being destroyed for construction. Just now, Shri Praful Patel talked about development and ecology together and development is possible even without destroying ecological balance, but I don't think that is the approach of the present Government. Ecology is sacrificed in the name of development, in the name of highways, in the name of freeways and in the name of new projects. It is not enough to protect *Adivasis* and jungles together. It is necessary to protect *Adivasis* and jungles and wildlife together because they live together and they don't live separately. Unfortunately, what is discussed today is separating *Adivasis* from the wildlife and from the wildlife, the human habitats. It is necessary to take a comprehensive and a total view of the Wildlife Act, and therefore, not only having an act is important, but having implementation is perhaps even more important. Thank you.

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, 2022 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए आपका आभार प्रकट करती हूं।

मानव पेड़-पौधे और जीव-जन्तुओं का जीवन एक प्रतिरक्षण चक्र है। पृथ्वी पेड़-पौधों का पोषण करती है और पेड़-पौधे कीटों, पक्षियों और जंगली जावनरों का पोषण करते हैं। दूसरी ओर मृत पशु गिद्ध का शिकार बनते हैं और गिद्ध जब मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी में समाते हैं तो कीटों का भोजन बनते हैं। मृत कीड़े-मकौड़े पौधों की खाद बनते हैं और जब पौधे आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वे मनुष्य के जीवनयापन का साधन बनते हैं। मनुष्य, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं से अपने जीवनचक्र को चलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य, जीव-जन्तु और पेड़-पौधे एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीवन का प्रतिरक्षण चक्र हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जल, जंगल और जानवर की रक्षा, सुरक्षा करना मानव का मुख्य दायित्व है। पर्यावरण में वनस्पति, जीव-जन्तुओं के विलुप्त होने का सीधा-सीधा प्रभाव मानव जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि मानव जीवन व उस जीवन से जुड़ी हुई सुख-सुविधा और समृद्धि पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं से ही प्राप्त होती है।

महोदय, मानवीय गतिविधियों की वजह से मानव द्वारा अपने लाभ व सुख-सुविधाओं के लिए जीव-जन्तुओं व वनस्पति का इतना दोहन शुरू हुआ है कि आज इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। मानवीय सुख-सुविधा की पूर्ति से पर्यावरण बहुत प्रभावित हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जंगल खत्म हो रहे हैं, चरागाह खत्म हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना की बहुत सारी प्रजातियाँ या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए भोजन, ऊर्जा, दवाई, तेल व ईंधन के लिए सिर्फ इनका लगातार प्रयोग ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका अवैध व्यापार व तस्करी भी कर रहा है। आईयूसीएन की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में 1,42,577 से ज्यादा प्रजातियाँ दर्ज हैं। इनमें विलुप्त होने के खतरे वाली 41,000 प्रजातियाँ दर्ज हैं, जिन्हें बचाया जाना विश्व समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में भारत का हिम तेंदुआ, हिमालयन मोनाल (तीतर), सारस, एशियाटिक लॉयन, कृष्णमृग एवं नीलगिरि तहर जैसी प्रजातियों पर

प्रश्न है। मेरे प्रदेश में 1990 में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आ गई। जाँच करने पर पता चला कि डाइक्लोफेनेक दवाई बनाने के लिए गिद्धों को मारा जा रहा है। गिद्धों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनेक दवाई पर बैन लगाया गया और वन विभाग के निरंतर प्रयास से आज प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है।

महोदय, हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बन कर तैयार हो रहा है। इस पार्क के क्रियाशील होने से विलुप्त हो रही जड़ी-बूटियों की पहचान आसान होगी, खास कर हिमालय की विलुप्त हो रही जड़ी-बूटियों को संरक्षण प्राप्त होगा। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ, वह हिमालयन रेंज में आता है। विलुप्त होती जड़ी-बूटियों में छतरी, सर्पगंधा, बर्बरी, चैरा, पठानबेल, भूतकेसी, अजवायन, संसरपाली, रतन जोत जैसी हजारों जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनका प्रयोग स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है, जिनसे स्वास्थ्य से संबंधित हजारों दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन अवैध व्यापार के कारण आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं।

महोदय, मैं उस राज्य से आती हूँ, जो प्रकृति को संरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश का 68 परसेंट भाग वन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 32 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इसलिए मैं इस बिल के महत्व को समझती हूँ। महोदय, वनों व जीव-जंतुओं के संरक्षण की अवधारणा हमेशा से हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। हमारे वेदों में वनों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया था। पहली श्रेणी महावन थी, इसमें महान वन आरक्षित था। आज हमारे देश में ऐसे 100 से अधिक भंडार हैं। दूसरी श्रेणी श्रीवन थी, जो मानव और पशुओं की आजीविका के लिए आवश्यक वनोपज का साधन था। आज हमारा देश लकड़ी, चंदन, प्लाईवुड, केंदू के पत्ते, बांस, साल के बीज, शहद, औषधीय पौधे, रबर, काजू और मसालों जैसे वन उत्पादों की एक बहुत बड़ी रेंज यहीं से प्राप्त कर रहा है। महोदय, प्राचीन काल में तीसरी श्रेणी तपोवन थी, जहाँ ऋषियों का स्थान होता था। यहाँ किसी भी जानवर या पेड़ को नुकसान पहुँचाना अपराध समझा जाता था। आज ये हमारे प्राकृतिक अभयारण्य हैं। जो पर्यावरणीय विरासत हमें पिछली हजारों पीढ़ियों ने दी है, क्या उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, उसको सहेज कर रखना हमारा दायित्व नहीं है? महोदय, ऐसे समय में जब मानवीय लोभ व गलतियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं और वनस्पति तथा जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हम माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपने गौरवशाली अतीत और संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत को एक जिम्मेदार और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान में हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रयासरत है, जिसके तहत प्रोजेक्ट एलीफेंट, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, इंडियन राइनो विज़न जैसे कार्यक्रमों में कम से कम 22 वन्य जीवों के संरक्षण को शामिल किया गया है। बीते वर्षों में शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

महोदय, सात दशक के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार अपने जन्मदिवस पर एक साथ आठ चीते, जो भारत से विलुप्त हो गए थे, देश को उपहार स्वरूप देकर पर्यावरण और

वन्य जीव संरक्षण के प्रति देश की जनता से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वन्य जीव मानव जीवन और उसकी सुख-सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम और विनियम बनाने की आवश्यकता है। समय के साथ 1972 के कानून में संशोधन करने की आवश्यकता थी। ताजा संशोधन वन्य जीव संरक्षण कानून, 1972 की प्रस्तावना में बदलाव करता है। इसकी प्रस्तावना में वन्य जीवों के संरक्षण की ही मूल भावना है। अब नये विधेयक में वन्य जीवों के संरक्षण के साथ-साथ, उनकी सुरक्षा और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। इस विधेयक से पशुओं और उनकी विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करने और उनके उत्पादों के व्यापार के रेगुलेशन हेतु प्रभावशाली कार्य-ढांचा तैयार करने की मंशा है।

महोदय, यह विधेयक न केवल सीआईटीईएस के प्रावधानों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है, बल्कि देश में वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को भी शामिल करता है। प्रस्तावित विधेयक के तहत आक्रामक प्रजातियां, अर्थात ऐसी प्रजातियां जो भारत की नहीं हैं अथवा जिनके फैलाव से भारत में वन्य जीवों को खतरा हो रहा है, अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच रही है और वातावरण को नुकसान हो रहा है, ऐसी प्रजातियों के आयात व व्यापार, उनको सुरक्षित रखने या उनकी संख्या बढ़ाने से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार केन्द्र सरकार को ही होगा। इससे निश्चित रूप से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकेगा। विधेयक में दिए गए नियमों, उपनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाया गया है। इससे इनका जो अवैध व्यापार होता है या तस्करी होती है, उसमें निश्चित रूप से रोक लगेगी।

महोदय, इन बिंदुओं को रखने के बाद मैं विधेयक के निष्कर्ष पर आती हूं। विधेयक की समग्र भावना और दिशा ऐसी है, जिससे भारत का कोई भी शुभचिंतक इसका विरोध नहीं कर सकता है। आज पर्यावरण सुरक्षा की लड़ाई में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इस विधेयक के अधिनियमन से हमारे ग्रह, अर्थात पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की लड़ाई में हम सबसे आगे रहेंगे।

महोदय, मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं, जो न केवल सीआईटीईएस के प्रावधानों को पूरा करता है, बल्कि हमारे देश में वन्य जीवन के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को भी शामिल करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Thank you, Mr. Chairman, Sir. Today, my party has given me an opportunity to speak on a very important Bill, that is, the Wild Life Protection (Amendment) Bill. And, I have to say that it is my privilege to speak before you for the second time within a span of very few days.

Sir, I was listening to my learned colleagues and very valuable suggestions have been put forth. And, it is extremely significant for me because I come from the State of Assam, however elected by my Leader, Ms. Mamata Banerjee, from West Bengal. I come from a region where forests, flora and fauna form a very integral part of our economy, of our livelihoods and of our society. As you know, Sir, the North-Eastern Region constitutes just 7.98 per cent of the geographical area of the country but it accounts for nearly one fourth of its forest cover. So, this Bill is, particularly,

very close to my heart. But, I will start by saying that this is one such Bill where one cannot concentrate just on the sections or clauses that have been amended in the Principal Act, but, actually, the thrust of this Bill is in the number of Schedules that have been included. उस दिन आप एक्सपर्टीज़ के बारे में बोल रहे थे। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, जिनके लिए एक्सपर्टीज़ की बहुत जरूरत होती है। यह वैसा ही एक बिल है। I applaud the Members of the Standing Committee because I feel that they have done a thorough job. They have heard a number of activists, environmentalists, experts and, then, given their suggestions on this Bill. We are well aware that as a nation, we are amongst the 184 countries that have signed the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1975. If I am not wrong, we signed it and ratified it some time in 1976. This Bill is absolutely necessary to bring our current laws in line with our international obligations under that treaty. Having said that, I would like to say it was first introduced in the Lok Sabha in December 2021. The Standing Committee went through a very thorough discussion. Then, it was passed in the Lok Sabha, and, now, it is before us for consideration again. If I may say so, this Bill is a prime example of how a Standing Committee can act as a watchdog of the nation. Today, all the Members of the House, whether they are in the Treasury Benches or in the Opposition Benches, we must all come together in agreeing that it will be a disservice to the nation if the number of Bills that go to the Standing Committee drops from 60 per cent to 13 per cent. Sir, today, I am a Member of Parliament but I do not have every expertise. So, it is an opportunity for me to read the Standing Committee Report and learn from it. Here, I would like to say कि हम कानून किसके लिए बनाते हैं? हम एक साधारण इंसान के लिए कानून बनाते हैं, जिस पर यह कानून लागू होता है। हमारा यह कर्त्तव्य है, as law-makers, it is our duty to simplify the law. Our hon. Minister is very learned. I have sat in the Environmental Standing Committee with him and learnt a lot from him. लेकिन हर इंसान के पास उसको समझने की ताकत नहीं होती। As regards the way this Bill has been amended, the Standing Committee has repeatedly said that it has become a very cumbersome Bill. The question that many people in this arena have raised is: What is the reason that this was not made a part of the Biological Diversity Act, 2002, the amendment for which is also pending in the 2021 Bill before the Joint Committee? अगर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के माध्यम से इस अमेंडमेंट को लाया जाता, तो मेरा यह मानना है कि it would have been far more streamlined. My learned colleague, Mr. Sinha, spoke a lot about biological diversity, which only bolsters my point that inserting it in the Biological Diversity Act would have been a better drafting strategy. No one can oppose this Bill, Sir. No one can oppose this Bill because we all agree on sustainable exploitation of our flora and fauna. And, it is a reality that the kind of international trade that takes

place of plants and wildlife specimen runs into billions of dollars. It is a huge area for legislation. It was much required. So, I do not oppose that but I would also like to say that this kind of exploitation also leads to a massive threat.

Therefore, to implement CITES was extremely important for us. Sir, one of the key amendments that has been brought is to have two authorities, one being the management authority and one being the scientific authority. Sir, these two authorities will regulate the trade of these species as well as they will ensure that the level of the trade doesn't go to such an extent that it becomes detrimental to any species. Sir, this is important. I don't deny it because our Sustainable Development Goals No. 15 is also very important to us when it comes to wildlife. But I do feel, Sir, that in the composition of these two authorities, one must remember that this is a subject that is in the Concurrent List, and, therefore, the States must have a significant say in how it is implemented. So, these two authorities, how they will be set up, who will run it, which set up of officers will be there, must take into accounts our strong principles of federalism and help the States. They should be able to constructively engage at the level of these authorities.

Sir, I am pained to say that many Members, not just me, have repeatedly raised the concern about the way Section 43 has been amended. Section 43 of the principal Act has been amended, which is the 1972 Act, and this is not a concern of Parliamentarians or Members of the Standing Committee but this is a concern of people who have been fighting for decades for the protection of captive animals like the elephants.

Sir, if I may say so, हमने देखा था, एक ज़माना था, जब राजा-महाराजा हाथी पर चढ़ कर युद्ध करने जाते थे। मुझे बचपन के वे दिन याद हैं, जब हम रिपब्लिक डे परेड में देखते थे कि साहसी बच्चों को हाथियों पर बैठा कर परेड में ले जाते थे, पर, इस देश में हम उन कानूनों या रिचुअल्स में परिवर्तन लेकर आए। हम यह क्यों लेकर आए? हम उस पशु के हित में यह परिवर्तन लेकर आए, जिसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन वह हमारे बीच में है, उसमें हमारा थोड़ा स्वार्थ है। So, whether all of us, Parliamentarians, realize that a wild elephant in this country comes under 'captive animals'. हमने रिपब्लिक डे परेड में भी हाथी को यूज़ करना बंद कर दिया। It has been declared as a heritage animal. Mr. Jairam Ramesh, I think, was, at that time, the Minister. यह सरकार जो क्लॉज़ 27 लेकर आई है, it is a direct contravention of the earlier Section 43. I am sure, the hon. Minister is very learned, he will explain himself. सरकार स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के बिल्कुल विपरीत अमेंडमेंट लेकर आई है, जो लोक सभा में पास होकर राज्य सभा में आया है। The original Act says, you cannot transport or transfer any captive animal for consideration. So, what are the exceptions? It is like if you move an animal from one zoo to the other, no one can say anything; and the moment you move them, you have to inform the Chief Wildlife Warden within 30 days.

सर, सरकार इस सेक्शन को बदल कर जो संशोधन लेकर आई, उसमें लिख दिया कि लाइव एलिफेंट्स के जो ओनर हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, they can transfer and transport with the permission of the State Government on fulfillment of such conditions as may be prescribed by the Central Government. Huge discretion, Sir. इसमें परपज़ तक नहीं लिखा। The Standing Committee made a very practical suggestion. We realize the ground realities of this nation, and elephants form a part of our rituals. So, I plead with the hon. Minister कि आपने जो 'ऐनी अदर परपज़' करके इसको और भी ब्रॉड कर दिया, उसकी वजह से पब्लिक डोमेन में एक डर है। सर, आप उस डर की वजह समझते हैं।

सर, चूँकि मेरा समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य बता कर अपनी बात समाप्त करूँगी।

I want the hon. Minister to tell the Parliament the reason why this Government did not vote against the motion where international trade for ivory was due to be started. That motion was defeated, but this Government abstained from voting. So, 'any other purpose' और उसके बीच में कोई संबंध तो नहीं है,सर? शायद यह पूछना लोकतंत्र में मेरा हक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Thank you, Mr. Chairman Sir. Sir, I rise to oppose the Wild Life (Amendment) Bill, 2021, in its present form. Before I speak, let me say how delighted I am. As rare is wild life, rare is to see the Chairman in the Chair in the afternoon, at 2.30 p.m.? Sir, it is my privilege that I am speaking in your presence, with no disrespect to the hon. Deputy Chairman who is sitting in front of me.

Sir, before I speak on the Bill, my colleague, Shri Kumar Ketkar, drew attention to the fact that we are celebrating the 50th anniversary of the Wild Life Protection Act. The Wild Life Protection Act was discussed in the Lok Sabha and the Rajya Sabha in August, 1972 and was gazetted on the 9th of September, 1972. It is an important landmark because this Act was passed by Parliament when wild life was in the State List of the Constitution. The first Government made an effort, under Pandit Jawaharlal Nehru and Shri K.M. Munshi, to pass a Wild Life Act. They could not pass it because the States objected to it as Wild Life was a part of the State List. This matter came up when Shrimati Indira Gandhi became Prime Minister. She was a very ardent conservationist and she found a way to pass an Act by Parliament on a subject belonging to the State List. She resorted to Article 252, which empowers Parliament to pass a law on a subject in the State List provided two or more States assent to it. So, on the 12th of April, 1972, she wrote a letter to all the Chief Ministers. I wish to

quote this letter because this is very relevant to our discussion today. She writes, "Dear Chief Minister, I have written to you in the past about wild life conservation and management. Although there is now greater consciousness about this problem than a few years ago we have not been able to significantly arrest the continuing decline of our fauna including many endangered species. Poaching is on the increase and we continue to receive reports of lucrative trade in furs and pelts of even those animals like the tiger whose shooting is in law prohibited throughout the country. My colleague, the Agriculture Minister, Shri Jagjivan Ram then has already written to you about the difficulties of controlling trade and taxidermy in the absence of a uniform Central law applicable to the entire country. Experts are unanimous that only an integrated and countrywide policy of wild life conservation and management can arrest the present precipitous decline. It is for these reasons that we now seek your cooperation to enact Central legislation on wild life conservation and management. This is not a political issue. It concerns the survival of our famous natural heritage. Past experience reveals the limitations of a regional approach. The Centre and the States must now act in concert on the basis of a common legislation which should be strictly enforced."

Sir, following this letter and following the Parliament passing this law, eleven States enacted their own laws in consonance with Parliament's law and subsequently all States began adopting this national legislation. The Wild Life Protection Act is one of the most successful Acts in our country. It has protected the lions, it has protected tigers, it has protected elephants, it has protected *ghariyals*, it has protected rhinoceros, it has protected olive ridley turtles of the coast of Odisha, it has, in fact, even protected pygmy hogs. Mr. Bhubaneswar Kalita is perhaps one of the few Members of the House who would know what a pygmy hog is because it is found in the Manas and Kaziranga sanctuaries in Assam.

It is a small little animal. Even that came under the Wildlife Protection Act and it has protected a large number of birds and a large number of species. So, we celebrate the Wildlife (Protection) Act, 1972. It was a courageous and visionary move on the part of our Prime Minister to bring this law at a time when it was not fashionable to talk about environment, climate change, bio-diversity and so on.

Let me now come to the Bill. Bhupender Yadav*ji* has been Chairman of many Standing Committees. He has been Chairman of many Select Committees. I can tell you the batting average that he has. Of his recommendations being accepted by the Government in power is over 90 per cent. His batting average is that recommendations made by any Bhupender Yadav-chaired Committee is over 90 per cent, whether he sat here or whether he sat there. But, today, I have to give him only

50 per cent. It is ironic that a Minister, whose recommendations are accepted, is refusing to accept the important recommendations of the Standing Committee, which my colleague, Ms. Sushmita Dev, has pointed out. Let me first give him the two credits where it is due. He has accepted the recommendation of the Standing Committee on Schedule-I, Schedule-II and Schedule-III. He has cleaned it up; he has followed the format suggested by the Standing Committee; he has not made one spelling change in the Schedule-I, Schedule-II and Schedule-III and he has, I think, been bold enough to accept that the Standing Committee has made an improvement on the original Bill. I compliment him for that. Secondly, I wish to compliment him on dropping the most dangerous provision in the Original Bill. Clause 27 was the most dangerous provision, which reads as follows: "In Section 43 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely, (4) This section shall not apply to the transfer or transport of any live elephant by a person having a certificate of ownership when such person has obtained prior permission from the State Government on fulfilment of such conditions as may be prescribed by the Central Government." He has dropped this in consonance with the recommendations of the Standing Committee. So far, he has got two out of two. Now comes a problematic part. He has accepted the Standing Committee's recommendation on redrafting this clause 27. I have to point out here that there is a conflict of interest. I was Chairman of the Standing Committee. I hope you will permit me to say this. Elephant is not only a natural but also a national heritage mammal of India. We know the cultural and religious significance of the elephant in many States of India. That is why the Standing Committee had recommended an alternative. "Provided that the transfer or transport of a captive elephant for a religious ..." The Standing Committee accepted the religious significance of elephant. But what has Bhupender Yadavji done in the Bill. He adds "or any other purpose". What is this 'any other purpose -- to provide for an elephant for a captive zoo in Gujarat or to provide for some private amusement parks in some other States? What is this "any other purpose"? So, I requested him, "Please drop any other purpose". In fact, I suggested to him to say, "religious and cultural purposes". But he did not agree and he has kept "any other purpose".

MR. CHAIRMAN: You must appreciate his secular credentials.

SHRI JAIRAM RAMESH: I moved Amendments to the Bill on the 3rd of August. But I cannot move these Amendments today.

3.00 P.M.

Rajya Sabha is a continuing House. The Amendments should be continuing. The Bills are continuing, but today, I am told that these Amendments are infructuous because they have not been moved 48 hours before the Bill. I have moved these Amendments. Anyway, I don't want to get into this procedural issue. So, I want to request the Minister, please drop the words 'any other purpose' from the Bill. If you have 'any other purpose' in mind, put it into the Bill and take the House into confidence. And, don't get up and say that it will come into the Rules because we know what happens in the Rules. So, please, put it into the Bill. Sir, I will take two minutes more. So far, his score is two-and-a-half, two plus and the third recommendation is accepted half, and he has diluted it by putting the words 'any other purpose'.

Now, I will talk about the State Board on Wildlife. I moved an Amendment on this. What the Minister has done in the Bill is that he has made the State Board on Wildlife a rubber stamp machine. Today, the State Board on Wildlife is chaired by the Chief Minister. At least, the Chief Minister, twice a year, pays attention to the problems of the wildlife. In the case of Mr. Naveen Patnaik, it is more frequent because he takes great interest in the protection of wildlife in Odisha. Now, this Bill says that you can have a Standing Committee chaired by the Minister, who will be the Vice-Chairman, and you will have ten Members. We know that these ten Members will be Secretary (Forest), Secretary (Environment), Secretary (Finance), Secretary (Culture), etc. All these will be the people who will say yes. So, please preserve the integrity and independence of the State Board on wildlife and bring some institutional Members, bring some scientists, bring some conservationists, bring some outsiders who will give you a different point of view. You want to protect bio-diversity. I would say protect bio-diversity of intellectual opinion. You cannot have only one person deciding on the State Board on Wildlife.

Finally, my friend and colleague, Ms. Sushmita Dev, has referred to this. I do not object to the fact that this Bill came because of the need to fulfil CITES commitments. The third Assembly of CITES was held in India in 1981. There was no *dhoom-dham*, no *tamasha* that CITES was coming to India. CITES came to India in 1981 and 150 countries met here. India is a world leader in conservation. We don't have to learn lessons from any other country. We are number one in the world on conservation because of the Wildlife Protection Act. *(Time-bell rings.)* What Mr. Bhupender Yadav has done in this Bill is that he has produced the tomb of a Bill, which is impossible to navigate, impossible to understand. It was very simple solution that the Standing Committee had suggested. That was agreed to initially, but then,

for some reason, that agreement was taken back and we have gone back into a very cumbersome Bill. So, I cannot support the Bill in its present form. I support the two points on which Mr. Bhupender Yadav has agreed to the Report of the Standing Committee. I compliment him on this, but compared to his average of 90 per cent acceptance of recommendations when he was the Chairman, I am afraid, as far as this Standing Committee is concerned, his acceptance rate is only 50 per cent. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I call upon the next speaker, there are two things. And, we will seek the talent and services of Shri Derek O'Brien to have a quiz whether a former Minister has ever agreed with a current Minister! That is number one. And, number two, I, as the Chairman, would like to draw on the wisdom of the House whether a recommendation of a Standing Committee or a Joint Committee is just an input or it has a binding force. On that also, I will trust the wisdom of Shri Derek O'Brien given a strong lineage of quizzing. Now, I call upon Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. Sir, I am supporting this Bill. Sir, the hon. Minister has brought the Bill after referring it to the Standing Committee. The observations made by the Standing Committee have also been taken into consideration and now he has brought the Bill.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

Mr. Deputy Chairman, Sir, it is a very important issue. Please allow me to speak for a few minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, Jairam Ramesh ji has raised some issues and I have to reply to them. He is a very intellectual man; I am not denying that. First of all, he asked as to why this subject has come to the Concurrent List from the State List. This is done as per the convenience of the Central Governments. Especially, the Congress Government, whenever they ruled, brought the State Subjects to the Central List. That is what has happened and because of this, the State Governments are suffering. He said that the Chief Ministers do not have faith in the Central

Government. My question is: why did the Congress Government bring this State subject to the Concurrent List? This is the contradiction, Sir.

Now, I come to another important issue. Sir, the issue of Jallikattu is an important cultural issue in Tamil Nadu. When Mr. Jairam Ramesh was the Minister, he included the 'bull' and everything in the list. Now, we are facing a lot of problems. Due to the steps taken by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, we got the exemption and then we could conduct Jallikattu because ox and bulls were exempted.

Sir, whenever the Governments come to power, they make rules as they like. You cannot criticise this Government or that Government. It is the root cause which you created some time back. Even Pandit Nehru could not do it but Madam Indira Gandhi brought it. She only brought the subject of 'education' into the Concurrent List from the State List. Today, as far as NEET examination is concerned, we are suffering in that regard. ...*(Interruptions)*... Sir, because 'education' was brought to the Concurrent List during the Emergency period in 1976, we are suffering now. Therefore, please do not teach us federalism. You are spoiling the federalism. This Government saved the federalism and we have to appreciate this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thambidurai ji, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Both are same. ...*(Interruptions)*... Both are same.

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Brittas, I am supporting you. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात न करें। Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... You have limited time.

DR. M. THAMBIDURAI: I am coming to the point. I want to make a request the concerned Minister. Sir, case regarding Jallikattu is in the Supreme Court. Please ensure that the Government comes forward and support our State Government, which is already fighting for it. It is a cultural issue. I request the Central Government to support us in the Supreme Court where the case is going on and protect the cultural interests of Tamil Nadu.

There is one more issue about elephants. They have mentioned about the amendments in this regard whether it is a captive elephant or whether it is in the forest. Many incidents are taking place -- maybe because human beings have done

certain wrong things, that is a different issue -- where human beings are being killed by animals, especially, the elephants. Sir, the question is: do you wish to protect the human beings or not? *(Time-bell rings)* I am coming to the point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are a few more speakers.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, that is okay but I have to say something very important.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, many innocent human beings have been killed by the elephants moving around. Also, the elephants are destroying the crops in the field. Who is going to give the compensation for that? For that, the wild animals, elephants have to be kept in the forest so that they do not enter the human habitats. People are suffering due to this. Therefore, Sir, I request the hon. Minister to see as to how you can protect the human beings. Apart from the animals, you have to protect the human beings. All are important.

So, once again, I would like to say that in the name of federalism, many subjects have been taken to the Concurrent List from the State List. These should go back to the State Government. This is my first point. Secondly, the issue of Jallikattu, which I just now raised, has to be considered favourably keeping in mind the feelings of the people of Tamil Nadu. On the issue of elephants, once again, I would say that many people have died and compensation is needed in those cases. Let the Central Government and the State Government come forward and protect the human beings apart from the animals. Thank you.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Respected Deputy Chairman, Sir, my first feeling was to support this Bill. But now Mr. Jairam Ramesh is opposing it. I am in the middle now. Some part I am accepting. I have got only one request. I have one simple request. I am not going to make a speech like Mr. Rakesh Sinha makes or others make. I have got one request. On one side, Mr. Jairam Ramesh is sitting. Another side, Mr. Binoy Viswam is sitting. Both were Ministers; one was Minister at the Centre and the other was Minister in the State. They are making all the problems. Whenever he's in the Ministry, we could not go in the Forest Office. If we asked them to allow some development work there, they will say मंत्री जी ने ऐसा बोला। That was the situation in Kerala during his reign. Now he is here. This kind of people should not be there in this Ministry. I prefer Mr. Bhupender. He is not like this extremist. I hope that

you will do some justice to us *junglewala*; I come from Nilambur foothills of Nilgiri. Every day we are facing elephant attack in my house. Not *kadala kramanam*, but just elephant *akraman*. I request you to give fund to our Government to have hanging solar fence. They know how to beat it. They will come and smash it. Please allocate some funds. Our Divisional Forest Officers tell us that there are no funds for hanging solar fence. Please do something. We live there. I live there. I also see elephants sometimes in my house. They come there. Please do something for this human-animal conflict.

I have to say one more thing. We are taking care of wild animals. There are some wild animals in humans. Take care of them also. Thank you, Sir.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I rise here today to support the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022. The Wild Life (Protection) Act, 1972 has been amended on various occasions as per the requirement of the situation.

In 2021, the Bill was introduced in the Lok Sabha. The Bill was earlier discussed in the Rajya Sabha also. Then the Bill was sent to the Standing Committee. After the recommendation of the Standing Committee, we are discussing this Bill today to pass it. I support it totally. Time is limited. I have to speak for a few minutes only. I would like to give some examples. It is my appeal to the hon. Minister. Animal protection is the call of the hour. Similarly, global warming, climate change, and forest protection are the call of the hour. In many parts of our country, forest are being destroyed like anything. Without forests, we cannot live. Today, the world is facing the worst problems from climate change and global warming. Looking at the situation, the Government should take the strongest measures to protect reserve forests like anything. I would like to tell you a sad news. Railway tracks are constructed in many parts of India where there are elephant corridors. Very recently, three elephants were killed near Guwahati while they were trying to cross the railway track because there is an elephant corridor. So, I will request the Minister to look into it and discuss this situation with the Railway Minister to protect the elephants.

Secondly, I will talk about Kaziranga National Park. Sir, we can pass this Bill today. But in the implementation of the Bill, the most important role has to be played

* Not recorded.

by the State Governments. All the State Governments have to play an important role; otherwise, this Bill will not be implemented. Earlier, the Congress was ruling Assam. Everybody knows that Kaziranga National Park is famous for one-horn rhinos. During the Congress regime, rhinos were killed in Assam like anything. But, the new Government is in office under the leadership of Mr. Himanta Biswa Sarma and now the Assam Government has taken strongest measures to stop elephant killing in our State.

Thirdly, I would like to quote one example. Again, I come to the elephant corridor. Lower Subansiri project construction is going on in Arunachal Pradesh. Its construction is going on in the elephant corridor. I am not against the dam but protection of elephants is also important. I would like to request the hon. Minister to look into this. One more thing is about dolphin. The Government of India proposed to have a dolphin park in Subansiri near Arunachal Pradesh. Due to Lower Subansiri dam, the dolphin park is also going to be put to damage. So, again, I would like to make an appeal to the Government to look after these things. It is very important. With this, I support the Bill totally. It is important to protect the forests and wildlife. It is our main priority.

There is one more thing. I would like to give an example. (*Time-bell rings.*) Nowadays, elephants lack food. Elephants are facing a lot of problems due to lack of fields in forest regions. They come out of the forests and also attack human beings. Now, I request the Forest Minister....

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sufficient funds should be provided to protect the elephants. Thank you, Sir.

SHRI PABITRA MARGHERITA (Assam): *Namaskar,* Sir. This is my maiden speech. Since the last session, I have been closely observing. I am feeling the same as reiterated by Pradhan Mantri Modiji yesterday that this House should give chance to new Members like me to express their views. In the last session, I attended 100 per cent but I learnt only a few things like, "नहीं चलेगा-नहीं चलेगा, *वेंडुम-वेंडुम*, लज्जा-लज्जा". I learnt only a few words. ...*(Interruptions)*... I learnt that also.

Sir, at the very outset, I take the opportunity to thank my party, especially the hon. Prime Minister Modiji, my party president Naddaji, Home Minister Amit Shahji, my Chief Minister Himanta Biswa Sarmaji and team Assam for sending me here to this august House. When we talk about dynastic politics and politicians with golden

spoon, ऐसे समय में एक सेवानिवृत्त चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के बेटे को इधर भेजा गया है। It is only possible in BJP. We talk of dynastic politics and amidst this kind of discussion, the son of a fourth grade employee of State Electricity Board is being sent to this august House. It is possible only because of Modiji and only in BJP.

Anyway, now, I come to the points. Although it is my first speech, I will conclude in 6-7 minutes. Yes, I do support this Bill. The proposal to amend the Act has covered a variety of topics -- starting from the preamble to establishing a mechanism for regulating export and import of endangered species in India. I earnestly believe that this Bill will ensure protection of not only endangered flora and fauna but also of the tribal communities that live around our forests. Hon. Prime Minister Narendra Modiji had said in one of his *Mann ki Baat* addresses in 2020 that India's biodiversity is a unique treasure for the entire humankind and we believe that biodiversity requires equal protection as the humans.

Our party believes in the philosophy of integral humanism of Deendayal Upadhyayaji that seeks to unite human beings and also to establish coherence between human beings and nature. Our Party believes in the philosophy of integral humanism of Deendayal Upadhyay*ji* and that seeks to unite human beings and also to establish coherence between human beings and nature. We believe in *Vasudeva Kutumbakam*, which means the world is one family. Our approach also reflects the ideals of Assam's revered Vaishnavite Saint Srimanta Sankardeva, who had stated five centuries ago that "*Ek vriksha das putra Samman*", which means one tree is equivalent to ten sons.

Our emphasis on nurturing biodiversity is also in line with the global efforts to protect the earth and its flora and fauna from the impact of climate change. This legislation will also help efficiently regulate many economic activities revolving around biodiversity.

The preamble of the Act proposes to include event management, conservation along with the protection of the wildlife. The preamble itself can be expected to lay the foundation for a strong law to protect this country's biodiversity.

The draft of the legislation also talks about preventing sales and auction of animal articles and trophies. It makes provision for State Governments to destroy such seized articles as well to protect, to preserve, to possess and to destroy also. That step is required to demonstrate that the State will not tolerate poaching of wildlife at any cost. Last year, hon. Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma had led from the front and burnt more than two thousand rhino horns in public view thereby sending out a message that the State has a no tolerance policy towards the poaching of rhinos. I want to mention one point that Assam is famous for rhinos. We have 72

per cent of world's population of rhinos and 89 per cent of total rhino population of India. This is what we have in our Assam.

The draft legislation also talks about the transfer and transportation of elephants. As told by the hon. Forest Minister in Lok Sabha, elephants are an integral part of our lives and in order to have a smooth transfer and transportation system for these animals, the Act proposes to regulate the entire process. I would like to emphasize on this point because Assam holds the second largest population of elephants in India with more than 6,719 elephants as per an estimate in 2017. So, we have a population of 6,719 plus elephants. A unique aspect of this Bill is the designation of management authority for scientifically issuing permits for transnational movement of species, laying a greater emphasis on minimum government and maximum governance. The Bill strongly regulates and monitors the export permits. That makes it a transparent process.

Again, I am coming to Assam. As all of us know, Assam is home to one-horned rhino, which Birendra Prasad Baishya*ji* has just mentioned. It is the pride of the State and the country. The price of the horns of rhinos, which are being illegally sold in the international market, goes up to crores of rupees. As per report of media, one horn may cost around Rs.5 crores to Rs.10 crores. It oscillates between that rate. As a result, the poaching numbers always remain high. I do not know how my respected friends from Congress would accept it. I am giving a data. During the Congress regime in Assam -- they were in power for 15 continuous years and I am giving you data -- in 2013, 27 rhinos were poached. In 2014, again it was 27. In 2015, it was 17. In 2016, it was 18. So, every year, around 30 rhinos were killed by poachers during the regime of Congress but when Narendra Modi*ji* came into power in the Centre and BJP came into power in Assam, that figure came down to 1. It is now only 1 and it goes towards 0. The same surrounding villages, same forest guards, same police officials, same forest department officials but during the Congress regime it was 27 to 30 but now, as and when Modi*ji*'s Government came into power, the figure is going towards zero. So, this is the situation we had faced there. You would like to know it that not only the rhino poaching is minimized, along with that, the population of rhinos is also increasing.

Sir, it is now 2,895 which was 2,650 in 2018. So, it is an increase of 200 rhinos. Hereby, I would also like to reiterate the hon. Minister Bhupender Yadav*ji*'s assurance in Lok Sabha that the tribal communities shall continue to exercise grazing rights and will maintain their lawful livelihood activities in forests until they have been completely and successfully rehabilitated. So, this Act has included the respect and empowerment for the tribal people and the forest dwellers.

So, I, wholeheartedly, support the Bill and call for the reforms in the conservation of biodiversity to ensure that the number of endangered species in India keep on growing and help us to maintain biodiversity in full glory. Thank you, Sir. I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Shri Pabitra Margherita. Now, Shri Rwngwra Narzary. Please.

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Hon. Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I am speaking in support of the Bill. Wildlife is part and parcel of our environment. They were respected and protected since time immemorial by our ancestors through religious beliefs and customs. We are always taught to protect all the animals and plants from childhood. We worship many animals and plants. After Independence, this legacy was carried forward in our Constitution also. The Article 51-A (g) states that "to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures"; and Article 48A states that "Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life, the State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country."

India is one of the twelve-mega biodiversity countries of the world and out of 36 biodiversity hotspots of the world, three are from India, namely, the Indo Malayan, the Himalayas and the Western Ghats. We have many endemic and rare wildlife species like Asiatic Lion, Manipur Bush Quail, Red Panda, Greater One Horned Rhinoceros, Hoolock Gibbon, Pygmy Hog, etc. But, due to various reasons like poaching, habitat loss, etc., our wildlife species are becoming rare and some are on the verge of extinction. We have lost some species like pink-headed duck and Asiatic Cheetah due to extensive game hunting.

Respected, Sir, we are fortunate enough to bring the cheetah back. It is a proud moment for India that on 17.09.2022, the Cheetah was re-introduced in our Indian forests, i.e., Kuno Wildlife Sanctuary by our hon. Prime Minister of India and thanks to the hon. Prime Minister of India for his noble initiative.

In the recent past, the trade in the exotic animals has increased in the North East India. The smugglers in the wet markets of Southeast Asian countries are using the North East as an active transit route to supply end. The exotic animals like Brown Tufted Capuchin, Macaws, Kangaroo, Leopard Tortoise, etc., were recently seized from various areas of North East porous borders. To control the trade of these exotic

animals, the Wild Life (Protection) Amendment Bill is made to increase the degree of protection to the Indian wildlife as well as for exotic wildlife.

Hon. Mr. Deputy Chairman, Sir, I must appreciate some of the highlights of the Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022. The Bill has now reduced the schedules to four from earlier six schedules which will help in proper management and implementation of the Act. It inserts a new Schedule-IV for specimens listed in the appendices under CITES (scheduled specimens). The Convention requires countries to regulate the trade of all listed specimens through permits. It also seeks to regulate the possession of live animal specimens. The Bill seeks to implement these provisions of CITES. This is a welcome step.

Every person engaging in trade of a scheduled specimen must report the details of the transaction to the Management Authority. The recent Amendment has taken a progressive step to foster the participation of forest dwellers within national parks while determining the management plan. It has mandated the need to consult the Gram Sabha in protected areas falling under scheduled areas or areas recognized to possess forest rights based on claims under the Forest Rights Act, 2006.

Sir, the North-East India tribes constitute a major part of Indian tribal community and largely scattered over all the States of North-East. The step of allowing activities like grazing or movement of livestock, *bona fide* use of drinking water and household water by local communities, etc., is a very welcome step. As the tribal people surrounding the wildlife areas are very poor and struggles a lot to meet their basic needs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please conclude.

SHRI RWNGWRA NARZARY: Sir, I just want to mention about regulation of transfer of animal. There are enough number of elephants in captivity. So it is very important to create more checks and balances for management and transfers. The transfer of captive/live elephant is specially considered in this Amendment. Though it is a welcome move that the issue has been upraised, it is also needed to be considered that a transfer procedure without monitoring, scrutiny and evaluation may create a negative impact.

Sir, I conclude supporting the Amendments in the Bill, which are very much needed to strengthen the conservation of our precious wildlife and their habitat. Thank you.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हूँ। मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। ये मेरे चीफ व्हिप भी हैं और मिनिस्टर भी हैं।

सर, यह जो बिल है, इस पर अभी बहुत चर्चा हुई है और इसके ऊपर जितना बोलना था, सारे मेम्बर्स ने बोला है और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिये हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि एक सेंसिटिव मंत्री हैं। हमारे असम में उनका नाम अभी एनवायरन्मेंट मंत्री के नाम से जाना जा रहा है। सर, भूपेन्द्र यादव जी जो आफ्टर 1972, इस बिल को संशोधन के लिए लाये हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि यह अच्छा है। जयराम जी ने जो दो-तीन प्वाइंट्स बोले, वह उनका अपना मत है, उनको छोड़ कर मुझे भी इस पर बोलना है।

सर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एनिमल, बड्र्स, प्लांट्स, इन सबको मिलाकर एक बिल बनाया हुआ है और इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम करना है। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ कि स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत से ऑफिसेज़ हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर स्टेट में है, लेकिन स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते हुए भी, size of wildlife sanctuaries and national parks घटता जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि जितने बड़े पेड़ थे, देखते-देखते सब कट गये हैं और मैक्सिमम वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरीज़ हों या जंगल हों, इनको साफ किया गया है। यह नागालैंड में है या मणिपुर में है या त्रिपुरा में है। नागालैंड में बहुत ज्यादा पेड़ थे, वे कटने के कारण अभी खत्म हो गये हैं। असम में भी पूरे खत्म हो गये हैं। यह कैसा माफिया है, पता नहीं, लेकिन उसने इनको काट कर खत्म किया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद और असम में जब स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग पावर में आये, तो उसको थोड़ा रुकवाया है।

सर, मैं यह बोलना चाहता हूँ कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो या कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, यह अच्छा है। मैं ऑफिसर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल भूपेन्द्र जी ने जो काम किया है, वह निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है, जो वाइल्डलाइफ के ऊपर सबको चिन्तन करने के लिए बाध्य किया है। पूरा हाउस अभी इसमें व्यस्त है और इसके ऊपर चर्चा भी कर रहा है।

सर, मैंने देखा कि अभी जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज़ हैं, इनके आस-पास तो कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन जो छोटे-छोटे जंगल हैं, वे धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनका जो फ्लोरा एंड फॉना है, इसके अलावा जो ऑर्किड्स हैं, जो छोटे-छोटे एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग्स, फिश इत्यादि जो हैं, वे खत्म होते जा रहे हैं। मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर भी कुछ बोलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर्स के ज्यादा प्रयोग ने भी फ्लोरा एंड फॉना को ज्यादा प्रभावित किया है। आप लोग जानते ही हैं कि जो मैक्सिमम लोगों की कांस्टीट्युएंसी में घर के पास भी जंगल है, ये लोग डेवलपमेंट का नारा लगाते हैं। यहाँ की जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, वे भी खत्म हो गयी हैं। वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक स्लोगन भी बना हुआ है।

सर, मैं यह देख रहा हूँ कि अभी पेड़ लगाने का एक फैशन चल गया है। एक पेड़ लगाता है और उसको फेसबुक या सोशल मीडिया में डाल देता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक मिशन मोड में लेने के लिए कहा है। इसको मिशन मोड में करना चाहिए।

सर, आप लोगों को पता है कि नॉर्थ-ईस्ट पूरा जंगल से भरा हुआ है, असम पूरा जंगल से भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज़ हैं, बहुत पहले उनमें से ज्यादातर पेड़ काट दिए गए। एक अभयपुर अभयारण्य है, उसके 90 परसेंट पेड़ खत्म हो गये। अभी हम लोगों ने वहाँ पर एक लाख पेड़ लगाये, लेकिन इसको बचाना बहुत मुश्किल है। हम लोगों का नाम पेपर में तो छप गया, लेकिन वह नहीं बचा। जितने ऑर्किड्स थे, जितने मेडिसिनल प्लांट्स थे, वे सब खत्म हो गए। इसके अलावा मैं यह देख रहा हूँ कि ज्यादातर जगहों पर जो बड़े-बड़े लिज़र्ड्स हैं, आउल्स हैं, इनकी तस्करी हो रही है। हमारे साथी लोगों ने राइनो की बात की, राकेश सिन्हा जी ने कहा, पबित्र मार्गेरिटा जी ने कहा, बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य जी ने कहा। अभी असम सरकार ने स्ट्रिक्ट व्यवस्था की है। सर्बानंद सोनोवाल जी के बाद हिमन्त बिश्व शर्मा जी ने तो 200 से ज्यादा राइनो हॉर्न्स जला दिये हैं। इसका मतलब यह है कि दो सौ से ज्यादा संरक्षित थे, बाकी सबको तस्कर लेकर भाग गए। तस्करी का यह काम कहाँ चलता था, यह तो मुझे मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कॉंग्रेस गवर्नमेंट में यह व्यापक पैमाने पर चलता था। अभी इसको कंट्रोल किया गया है। अभी बॉर्डर्स यानी म्यांमार, बंगलादेश से भी स्किन्स, सींग आदि कुछ चीज़ों की तस्करी होती है। वे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिन्दा या मुर्दा, लेकर जाते हैं। वे इनको कहाँ लेकर जाते हैं, यह पता नहीं है, लेकिन उसको हमारी पुलिस पकड़ती है।

अभी जो यह बिल आया है, इसको थोड़ा सेंसिटिव्ली देखना चाहिए। बिल में और भी बातें बोली गई हैं, लेकिन हाथी के बारे में जो बोला गया है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग हाथी पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। आदमी हाथी को खाता नहीं है, हाथी तो ट्रांसपोर्ट में काम आता है। इसको भी फ्री करना चाहिए, क्योंकि हाथी को विचरण करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। लोगों ने इसको कम करके छोटा कर दिया है। एक-एक जंगल में एक-डेढ़ सौ हाथी रहते हैं, वे प्रतिदिन निकल कर किसी न किसी आदमी को मारते हैं। अभी ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसी छोटी जगहों से हाथी को बड़े जंगलों में कैसे डिस्प्लेस किया जाए, हमें इसकी भी चिंता करनी चाहिए। मैं हाउस से यह अनुरोध करता हूँ कि इसको देखना चाहिए। इस कारण से प्रतिदिन आदमी भी मर रहा है और हाथी भी घायल हो रहा है। इसके कारण उत्पादन घट गया है, क्योंकि हाथी फसल बरबाद कर देता है। कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, वे इसको जानते हैं। हाथी के कारण बहुत सारी जमीन में पैदावार नहीं हो पाती है। मेरा यह अनुरोध है कि ऐसी जगहों से हाथी को ट्रांसपोर्ट करके वैसी जगहों पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर हाथी ठीक तरीके से रह सकता है। यह बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसको मंदिर में लेकर जाना चाहिए और डिस्प्ले करना चाहिए। जो इसको लेकर जाता है, वह उसको खिलाता है।

सर, मैं दो-तीन दिन के लिए ऋषिकेश गया था और वहाँ पर ऐसी-ऐसी जगहों पर गया, जहाँ पर जंगल हैं। मैंने देखा कि वहाँ पर धीरे-धीरे तापमान बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर फाइव स्टार होटल्स बहुत ज्यादा हैं तथा और बन रहे हैं। मेरा यह कहना है कि वह जैसा है, उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। अभी काज़ीरंगा को सेंसिटिव ज़ोन में रखा गया है। लोग चाहते हैं कि इसको सेंसिटिव ज़ोन से हटाया जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो सेंसिटिव ज़ोन है, उसको सेंसिटिव ज़ोन में ही रखा

है। इसके पीछे लोगों का मकसद उसमें जो सैंड है, जो हिल्स हैं, पत्थर हैं, उनको लेकर बिजनेस करना है। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को यह नहीं करने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो इंडिया में फ्लोरा एंड फॉना खत्म हो जाएगा।

इस बिल में प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन की बात है। इसमें चीफ वार्डन की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इससे स्टेट्स के साथ कोई झगड़ा होगा। रेलवे को लेकर तो झगड़ा नहीं है, टेलीफोन को लेकर तो कोई झगड़ा नहीं है, तो इसको लेकर झगड़ा क्यों होगा? मुझे नहीं लगता है कि जो संघीय ढांचा है, उसमें इससे कोई ठेस पहुँचेगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का रिलेशन हमेशा बरकरार रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास रहने के कारण आप लोगों ने भी देखा है कि इसका एरिया कितना घट गया है। हम लोग सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं, लेकिन कोई फिज़िकली वन भूमि में जाकर देखेगा, तो वहाँ की स्थिति को देख कर यही कहेगा कि उसकी हालत बहुत खराब है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ आदिवासी लोगों की ही बात है, ऐसी बात नहीं है। आदिवासी की बात तो है ही, लेकिन जंगल के पास रहने वाले हर आदमी की बात है, जिसका कुछ दायित्व होता है। मैंने यह देखा है कि रिस्पांसिबिलिटी लेकर वे लोग ही पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो पेड़ काटने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था होनी चाहिए। **...(समय की घंटी)...** मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वे बहुत विद्वान हैं, वे इसको थोड़ा देखेंगे। फ्लोरा एंड फॉना को प्रोटेक्ट करने के लिए, विशेषकर जो तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की व्यवस्था करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। भूपेन्द्र यादव जी ने यह प्लूव किया है। आप ऐसा मत बोलिए कि किसी का प्रेशर है। भूपेन्द्र यादव जी एक विद्वान आदमी हैं और प्रधान मंत्री जी इसकी निगरानी कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि यह बिल अच्छा होगा, इसका इम्प्लिमेंटेशन अच्छा होगा। मैं विशेषकर नॉर्थ-ईस्ट की तरफ ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सैंक्चुअरीज़ हैं। मुझे आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे। थैंक यू, सर।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, कामाख्या प्रसाद जी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you so much for allowing me to speak. सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह जो बिल आया है, मैं मानती हूँ कि हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, पर इसमें कुछ कन्सर्न्स हैं, जो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहती हूँ।

सबसे पहले, उसमें एक टाइटल चेंज हुआ है। इसमें कहा गया है कि Protection of Wild Animals, Birds and Plants की जगह Conservation, Protection and Management of Wildlife लिखा जाएगा। जब हम मैनेजमेंट, कंज़र्वेशन, प्रोटेक्शन और प्रिज़र्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि CITES के माध्यम से हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करना चाह रहे हैं, इम्प्लिमेंट करना चाह रहे हैं, क्या इस बिल के माध्यम से वह हम क्रिएट कर पा रहे हैं?

सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बन चुका है। देश में ही नहीं, दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। उसकी चर्चा जी-20 के प्लैटफॉर्म पर भी होगी। कॉप-27 में हम उस पर खूब चर्चा करके आए हैं और हमने क्लाइमेट फंड्स के बारे में भी बात की है। उसको ध्यान में रखते हुए जो ईको-सिस्टम की बात है, हम जो वाइल्ड लाइफ साइलोज़ की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, हालत यह हो रही है कि अभी अब्दुल वहाब जी मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, एलिफैंट्स को लेकर हमारे काफी सारे सांसदों ने बात की है, तो जो मैन एंड वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से ईको सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके बारे में हम बार-बार सुनते हैं।

सर, मैं मुम्बई से आती हूँ। जब हम आरे फॉरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं खुद उसमें डिटेन हुई थी। आज स्थिति यह है कि लेपर्ड्स सिटीज़ में आ जाते हैं और छोटे-छोटे बच्चों को ले जाते हैं। जब ईको सिस्टम की बात होती है, तो हमें वाइल्ड लाइफ को ही ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि हमें ह्यूमन स्पीशीज़ प्रोटेक्शन बिल बनाना पड़ेगा, अर्थ प्रोटेक्शन बिल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम अपना इतिहास कहीं न कहीं भूल रहे हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की पहली महिला प्रधान मंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ प्रिंसिपल को स्टॉकहोम में सबसे पहले पेश किया था। उनका स्टेटमेंट - "Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage for wildlife and its habitat"- was unanimously adopted by 113 countries. Sir, I can clearly say that हमारा जो देश रहा है, we have led the revolution in terms of understanding the principle of wildlife and coexistence of humans along with wildlife. जब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो जयराम रमेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसको कैसे डाइल्यूट किया जा रहा है, उसको इस चर्चा में लाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड 15 लोगों का बोर्ड होता था, उसको घटाकर 3 लोगों का कर दिया गया है। जयराम रमेश जी ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोड्र्स में अधिकारी ज्यादा होते हैं, जबकि जो लोग सही मायने में काम करते हैं, जो संरक्षण का काम करते हैं, वे कम होते हैं। मुझे इस बात को इस पटल पर कहने में गर्व महसूस होता है कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था, जिसने माननीय मुख्य मंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के अंतर्गत एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड रीकॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हमने जगह दी थी और उनको ऐक्टिवली एन्गेज किया था। उसी माध्यम से, Maharashtra became the first State to release its own wildlife action plan under his leadership. I would earnestly request our Minister to kindly look at that particular idea that was introduced in Maharashtra. यह अनफॉर्च्युनेट है कि वहाँ सरकार बदल गई है और उसकी वजह से उसमें काफी डाइल्यूज़ंस हो रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आपके माध्यम से उस पर भी चर्चा की जाएगी।

दूसरी चीज़ यह है कि जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनके ईको सिस्टम की बात करते हैं, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिनको मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। उनमें जल है, जंगल है, उनके खाने के माध्यम हैं, जिनके बारे में प्रफुल्ल पटेल जी बात कर रहे थे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2017 में 400 थर्मल पावर प्लांट्स को पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करने का **...(समय की**

घंटी)... सर, मैं बस दो मिनट लूँगी। Violation of Government norms के अंतर्गत यह अलाऊ किया गया है। शायद माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे पाएंगे। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल को भी डायल्यूट करने की कोशिश की गई थी, मनी बिल के माध्यम से उसको डायल्यूट करने का काम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से उस पर रोक लगाई गई थी। केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में 4 हज़ार हैक्टेयर से ज्यादा, जो पन्ना टाइगर रिज़र्व है, वह डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 53,000 precious mango trees are set to be destroyed for the bullet train project. सभी मानते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक वैनिटी प्रोजेक्ट है, पर उससे हमारे एन्वायरन्मेंट का डीग्रेडेशन हो रहा है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कन्ज़र्वेशन की बात करते हैं, तो यह उसके लिए हानिकारक होगा। मैंने आपको आरे फॉरेस्ट के बारे में बताया ही था। हम अगर गुरुग्राम के अरावली हिल्स के बारे में बात करें, तो जिस तरह से कंसिस्टेंट्ली उसका डीग्रेडेशन हो रहा है, उस पर भी किसी तरह की व्यापक चर्चा नहीं हो रही है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें, जिसका डायल्यूशन हो रहा है ...**(समय की घंटी)**... सर, एक मिनट में लास्ट प्वाइंट बोलने दें।

श्री उपसभापतिः आपके दो मिनट हो गए हैं।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः ये इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर हम कन्ज़र्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिज़र्वेशन की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी जवाबदेही पर्यावरण मंत्रालय की बनती है। उस पर ये जवाब देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है और जो एनॉमलीज़ सबने बतायी हैं, उन पर भी संज्ञान लेकर करेक्शन करेंगे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय शंभू शरण पटेल जी।

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल पर बोलने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह मेरी मेडन स्पीच है। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा।

उपसभापति महोदय, मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे अति पिछड़े व्यक्ति के बेटे को भारत के सर्वोच्च सदन में आने का मौका दिया। मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री परम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बी.एल. संतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से मैं अपने प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल जी, बिहार भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेन्द्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय भीखू भाई दलसानिया और भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानन्द राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भारत के सर्वोच्च सदन के लायक समझा। मैं तहेदिल से इन सभी को धन्यवाद देता हूं। इतना बड़ा

दिल और इतना बड़ा कार्य करने की क्षमता सिर्फ भाजपा के पास ही हो सकती है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी भारत के सर्वोच्च सदन को सुशोभित कर सकता है।

महोदय, मैं बिहार प्रांत से आता हूं। वह बिहार, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली रही है, भगवान महावीर की जन्म स्थली रही है और भगवान गुरु गोबिंद सिंह जी की भी जन्म स्थली रही है। मैं उनको भी इस सदन के माध्यम से शत्-शत् नमन करता हूं। मैं बिहार के महापुरुषों बाबू वीर कुंवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर जी और शहीद रामफल मंडल जी को भी इस सदन के माध्यम से नमन करता हूं।

श्री उपसभापतिः आप बिल के ऊपर बोलिए।

श्री शंभू शरण पटेलः महोदय, मैं बिल पर बोल रहा हूं। मैं तय समय में ही अपनी स्पीच समाप्त कर दूंगा, आप चिंता न करें।

उपसभापति महोदय, ईश्वर ने सभी इंसान एवं सारे जीव-जंतुओं को पैदा किया है। इसलिए जीने का जितना अधिकार मनुष्यों को है, उतना ही अधिकार वन प्राणियों एवं पशु-पक्षियों का भी है। इसलिए सरकार से जितना संरक्षण मनुष्यों को जीने के लिए मिलता है, उतना ही संरक्षण बेज़ुबान प्राणियों को भी मिलना चाहिए। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां ईश्वर के साथ-साथ पशु-पक्षियों की भी पूजा होती है, इसलिए उन्हें भी उनके नेचर के हिसाब से जीने का अधिकार है। महोदय, अगर वन, जंगल और पशु-पक्षी न हों, तो प्रकृति का ईको-सिस्टम असंतुलित हो जाएगा। भारत के संविधान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल, जो राज्य सभा में लाया गया है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, सीरियल नम्बर 17 (बी) प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एण्ड बर्ड सूचीबद्ध किया गया है। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण और सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत देखा जा सकता है। महोदय, यह अधिनियम उस समय का परिणाम है, जब न्यायिक सक्रियता के कारण भारत में पर्यावरणीय न्यायशास्त्र तेज़ी से विकसित हो रहा था। यह अधिनियम उस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जो पिछले कानून जैसे वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम, 1912 के लिए अपर्याप्त थे। इससे पहले इस अधिनियम में बहुत सारी खामियां थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेन्डमेन्ट बिल, 2021 के आ जाने से वन्य जीवों, पशु-पक्षियों, जंगलों एवं वन में रहने वाले जनजाति समुदाय को और अधिक सुरक्षा मिलेगी, उनके अधिकारों का अधिक संरक्षण होगा, जिससे कि पर्यावरण में जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको कम करने में मदद मिलेगी, जंगल की कटाई रुकेगी, मनुष्य और वन्य प्राणियों के बीच जो संघर्ष की स्थिति है-जैसे मुंबई और गुजरात में देखते हैं कि चीता और तेंदुआ शहर की ओर आ जाते हैं, उसमें भी कमी आएगी। जो प्रतिबंधित लकड़ियां हैं, उनकी भी तस्करी कम होगी।

महोदय, वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने TN Godavarman Thirumulkpad vs Union of India के बारे में क्वोट किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ब्रह्मांड में सभी प्राणी भगवान के ही हैं। कोई भी प्राणी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य को प्रकृति से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, चूंकि आज यह मेरी मेडन

स्पीच थी, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, ...**(व्यवधान)**... मुझे आठ मिनट का ही समय दिया गया है।

श्री उपसभापतिः प्लीज़, मनोज झा जी, इधर सुझाव दीजिए, उधर नहीं। शंभू शरण जी, आप बोलिए। आप चेयर की तरफ देखिए। प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री शंभू शरण पटेलः उपसभापति महोदय, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अंत में मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी, जो कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और बहुत वर्षों तक बिहार के प्रभारी भी रहे हैं, मैंने उनके प्रभारीकाल में मोर्चा से लेकर भाजपा में काम किया है और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी पहली स्पीच उनके द्वारा लाए गए बिल पर दे रहा हूं। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। ...**(व्यवधान)**...बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य है।

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात मत कीजिए। शंभू शरण जी, आप बोलिए।

श्री शंभू शरण पटेल : जो हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, कल उनका खुद मज़ाक उड़ेगा।

श्री उपसभापतिः ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री शंभू शरण पटेलः मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत। वन्दे मातरम्।

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, अभी माननीय श्री संजय सिंह जी और माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जी का नाम इस विषय पर बोलने के लिए आया है। नियमतः आधे घंटे पहले नाम आना चाहिए, क्योंकि अब बहस कन्क्लूड हो रही है। आप में से एक माननीय सदस्य बोल लीजिए, अपना प्वाइंट रख लीजिए। श्री संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन बिल पर अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, इस बिल के बारे में हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने जो चिंता जताई, मैं उसी की ओर सदन और सरकार दोनों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। कहीं न कहीं पहले भी इसके प्रयास होते रहे हैं और इस बिल के माध्यम से यही प्रयास हो रहा है कि भारत के संघीय ढांचे का और राज्य सरकार के अधिकारों का किस प्रकार से अतिक्रमण किया जाए। राज्यों के अंदर वन विभाग है और वह बखूबी वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा है। कई राज्यों में परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में वन्य जीवन संरक्षण के लिए राज्य के बोर्ड हैं, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मंत्री करते हैं, जिसकी देख-रेख और बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वयं मुख्य मंत्री शामिल होते हैं।

ऐसे में उन बोड्र्स का अधिकार खत्म करना और सारा अधिकार अपने पास लेना, मैं समझता हूं कि यह उसी प्रकार की कोशिश है, जैसे आपने जीएसटी का बिल लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी बिल लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीना। जहां तक हम राज्य सरकार की बात करें, पंजाब के अंदर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें पंजाब सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आप अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उसके हर अधिकार को अपने पास लेने का काम करेंगे, तो भारत का लोकतंत्र और भारत का संघीय ढांचा कैसे मजबूत होगा?

मान्यवर, अभी मैंने यह विषय ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया था। आपने राज्य सरकारों से कहा कि आप निश्चित मात्रा में कोल विदेशों से आयात कीजिए। जब राज्य सरकार, कोल इंडिया, जिसका प्रोडक्शन 30 प्रतिशत बढ़ गया है, वह एनर्जी के लिए, पावर के लिए कोल इंडिया से डायरेक्ट कोयला खरीदना चाहती है और आपने कह दिया, एक फरमान जारी कर दिया कि आप विदेशों से कोयला आयात कीजिए, जबकि कोल इंडिया से उनको सस्ते में कोयला मिल रहा है। हमारी पंजाब की सरकार इसके लिए आपसे बार-बार अनुरोध कर रही है कि हमें कोल इंडिया से जो पंजाब का कोटा है, वह उपलब्ध कराया जाए। ... **(व्यवधान)**... सर, मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। कल सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि यह बिल इसलिए आवश्यक है कि हमने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज़ की हैं, जिनके पालन के लिए यह बिल लाना आवश्यक है।

मान्यवर, बहुत सारे बिल, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ ह्यूमन राइट्स को लेकर भी हैं। बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटीज़ श्रम कानूनों को लेकर भी हैं, मजदूरों के अधिकारों को लेकर भी हैं। आप उनको अधिकार देने के मामले में कौन सा बिल लेकर आते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए कौन सा बिल लेकर आते हैं? ... **(व्यवधान)**...

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं प्रधान मंत्री जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आप चीता लेकर आए और इसका पूरे देश ने स्वागत किया। कई घंटों तक टीवी चैनल पर उसका प्रसारण हुआ, यह अच्छी बात है, लेकिन वहां पर रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनका जो विस्थापन होता है, उनको जो अपनी जमीन से बेदखल किया जाता है, उसकी सरकार के पास क्या योजना है? वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है और इसे आप कीजिए। इस संशोधन बिल के माध्यम से भी कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनना, आदिवासियों के अधिकारों को छीनना, जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों को छीनना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। अगर आप चीता लेकर आए हैं, तो उसको खिला क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि चीता को संरक्षित करने के लिए दूसरे जो जीव हैं, उनको खत्म किया जा रहा है, उनको उनके सामने परोसा जा रहा है! इसके बारे में भी सरकार को अपना जवाब और अपना पक्ष रखना चाहिए। मान्यवर, जहां तक वन्य जीव संरक्षण की बात है, हम लोग हमेशा इसके साथ हैं। अभी तो इंसानी जीव के संरक्षण की बड़ी चिंता है। हम लोग एक चुनाव एमसीडी में जीते हैं। *

* Not recorded.

श्री उपसभापति : संजय जी, प्लीज़ विषय पर बोलें, जो चीज़ आप विषय पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगी। ... **(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानी जीव का संरक्षण, राज्य सरकारों का भी संरक्षण, राज्य सरकार के अधिकारों का भी संरक्षण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ... **(व्यवधान)**...ऐसे बिल लाकर राजभवन, राज्यपाल और एलजी का दुरुपयोग करके, जो राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने का आपका प्रयास रहता है, यह गलत बात है और इसको रोकना चाहिए, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्रीमती सीमा द्विवेदी। ... **(व्यवधान)**... प्लीज़, आपस में बात न करें। सीमा जी, आप बोलें।

4.00 P.M.

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश)**:** महोदय, यह जो 'वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022' आया है, यह संशोधन विधेयक लोगों, वनस्पतियों, कीट-पतंगों, पशुओं सहित देश के पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण सार्थक कदम है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, अभी हमारे भाई संजय जी बोल रहे थे कि राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि कोई ऐसा प्रांत नहीं है, जहाँ पर पशुओं पर जघन्य अपराध न होता हो। यदि वन्य प्रजातियों पर 2021 में हुए अपराध देखें, तो हिमाचल प्रदेश में 232, केरल में 181, जम्मू-कश्मीर में 191 अपराध हुए हैं और ऐसा कोई प्रांत नहीं है, जहाँ पर इस तरह का अपराध न किया गया हो।

महोदय, हम तीन दशक पहले रंग-बिरंगे पक्षियों को अपने आस-पास देखते थे, लेकिन वे अब इसी कारण से नगण्य हो गए हैं। इसको कहते हैं- प्रत्यक्षं किम् प्रमाणं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि जो पशु-पक्षी हमारे इर्द-गिर्द मँडराते रहते थे, दिखते रहते थे, वे दिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके संरक्षण में कहीं न कहीं कमी आई है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं, जो इस संशोधन कानून को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आधारहीन बातों को लेकर इस पर विरोध प्रकट कर रहा है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि संशोधन विधेयक में पशु, पक्षियों और वनस्पतियों को पहले अनूसूची छह में रखा गया था, लेकिन अब इसको संशोधित कर-करके अनुसूची चार में कर दिया गया है। मैं समझती हूं कि यह एक बड़ी सार्थक पहल है और मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहती हूं।

महोदय, पहले क्या होता था? पहले, जब लोग जीव-जंतुओं को मारते थे, उन पर हमला करते थे, तो उस पर सरकार ने जुर्माना लगाया था। इस पर जो जुर्माना लगाया गया था, वह पहले 10 हज़ार रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब हमारी सरकार ने उस जुर्माने को 10 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये कर दिया है। जहाँ 25 हज़ार रुपये का जुर्माना था, उसको 25 हज़ार रुपये

से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है, और जो सबसे बड़ा जुर्माना था, उसको 25 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। सर, इसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि वन्य जीवों पर जो अनियंत्रित अपराध होते थे, उनको रोकने में मजबूती आएगी।

मान्यवर, अभी मैं आदरणीय जयराम रमेश जी, जो हमारी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वे बहुत विद्वान सदस्य हैं, उन्हें सुन रही थी। आपने पशु-पक्षियों को राज्य का विषय बताकर केंद्रीय कानून का विरोध किया। आपने कहा कि पशु-पक्षी का विषय राज्य सरकारों से संबंधित है और केंद्र सरकार को इस पर कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। आपने कहा कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने बहुत किया, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि राज्यों ने अब तक इस अपराध को क्यों नहीं रोका? क्यों पशु-पक्षियों का अवैध तरीके से व्यापार होता रहा? महोदय, आज इसी गलती को ठीक किया जा रहा है। महोदय, पशु-पक्षियों का देश के भीतर आवागमन होता रहता है, अतः केंद्रीय कानून के अभाव में राज्यों के लिए ऐसे अपराध को रोकना कठिन होगा।

मान्यवर, आपको याद होगा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, जब बारिश होने वाली होती थी, तो तमाम तितलियाँ मंडराती थीं। हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन आज ऐसा बिलकुल देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं, हमारी तितलियाँ कहाँ चली गईं, हमारे गिद्ध कहाँ चले गए, हमारी गौरैया कहाँ चली गई, हमारे कौवे कहाँ चले गए? गाँव की परंपरा थी कि पितृ पक्ष में जब पितृ का विसर्जन होता था, तो हम उम्मीद करते थे कि कौवे आएंगे, लेकिन मान्यवर, आज कौवे ढूँढ़ने से भी नहीं मिलते हैं। महोदय, गिद्ध - जो लाल ठोड़ी वाला गिद्ध होता था, उस गिद्ध का पर्यावरण को बहुत फायदा होता था। जब कोई भी जीव-जंतु मरता था, बदबू आती थी, तो हमारे गिद्ध उसको ले जाकर खाते भी थे और उससे पैदा होने वाली बीट से खाद भी उत्पन्न होती थी। आज इन सभी का बहुत बड़ा अभाव हो गया है।

मान्यवर, मैं हिंदी साहित्य की छात्रा रही हूं, मैंने तुलसीदास की शब्दावली को भी पढ़ा है। रामचंद्र जी के वन जाने के बाद माता कौशल्या आँगन में बैठकर कहती हैं:

'बैठी सगुन मनावति माता।
कब ऐहैं मेरे बाल कुसल घर, कहहु काग फुर बाता।।'

महोदय, पहले कौवे हमारे संदेशवाहक हुआ करते थे। काव्य रसायन में जो इसकी नायिका थी, उन्होंने भी अपनी विरह, वेदना में कहा है:

'पिय सौं कहेहु सँदेसड़ा, ऐ भँवरा ऐ काग।'

महोदय, काग और भँवरे हमारी पौराणिक परंपराएँ थीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हम इन पौराणिक परंपराओं से बहुत पीछे चले जा रहे हैं। जंगलों में जिस तरह से कटानें हो रही हैं, जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटने के बाद जिस तरह से पर्यावरण का एक घोर संकट पैदा हो गया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मान्यवर, हमारे देश का पर्यावरण संतुलित रहे, हमारे देश की व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहे, इसके लिए कानून बनाना कोई अपराध नहीं है। मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूं कि आपने इस कानून में विधेयक

लाकर एक नई दिशा में काम करने का जो प्रयत्न किया है, उससे किसी भी सरकार को कोई नुक़सान नहीं होगा और अगर किसी सरकार को यह लगता है कि नुक़सान होगा, तो सरकारों ने अभी तक इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया?

मान्यवर, आप देखिए कि बड़े से बड़े जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। पहले जो जंगल होते थे, वे इस प्रकार से होते थे कि जब कभी हम रास्ते से जाते थे, तो हमें बड़े-बड़े जंगल, बड़े-बड़े पहाड़ दिखते थे, लेकिन अब सभी की कटानें हो गई हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। मैं सरकार के इस विधेयक पर अपना पुरज़ोर समर्थन देती हूं कि यह बिल लाकर सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर उपकार किया है। मान्यवर पशु-पक्षी बेजुबान होते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, इनकी पीड़ा को अगर किसी ने समझने का काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार ने किया है, तभी यह विधेयक लेकर हमारी सरकार यहां पर उपस्थित हुई है।

अभी तमाम लोगों ने अपने-अपने भाव को प्रकट किया, तमाम लोगों ने अपनी-अपनी चिन्ता को जाहिर किया। मैं भी भारत की एक चिन्ता को देखते हुए कहना चाहती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है, जब हमारे पशु-पक्षी, हमारे सारे जानवर सही-सही समय पर रहते हैं तो सब के अपने-अपने फायदे होते हैं, सब के अपने-अपने नुकसान होते हैं। सरकार जिस तरह से इन बातों को लेकर आई है, उसका हमारा सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि हम किसी के अधिकार में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बना रही है, जिस कानून के तले सब रहकर अपना काम करें और हमारे वन्य जीवों का संरक्षण होता रहे, उनका संवर्धन होता रहे, उनकी प्रजातियां बढ़ती रहें। कभी-कभी कोई विदेशी, कोई बाहर की प्रजातियां हमारे यहां आ जाती हैं, उनसे अगर कभी-कभी कोई संकट हो जाता है तो उसके लिए भी रोकने का एक कारगर उपाय इसमें किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूं कि मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन जावनर बेजुबान होता है, वह बोल नहीं पाता, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी करुणा को प्रकट नहीं कर पाता, ऐसे जानवरों की रक्षा के लिए, ऐसे पशुओं की रक्षा के लिए हम सभी लोगों को सर्वसम्मति से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): सम्माननीय उपसभापति महोदय, दो दिन से चलने वाली इस चर्चा में सदन के सभी सदस्यों ने इस बिल के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की, तो सबसे पहले तो मैं सब सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े संवेदनशील विषय पर अपनी इस प्रकार की सहमति व्यक्ति की है।

सबसे पहले विषय इसी चर्चा से प्रारम्भ होना चाहिए कि जब हम विकास की बात करते हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हमारा देश एक ऐसा देश है, जहां पर जल, जंगल और जमीन एक साथ हैं। दुनिया में जब हम कहीं भी जाते हैं, पर्यावरण की वार्ताओं में जाते हैं तो हमारा हमेशा दुनिया के सभी देशों से यह कहना होता है कि हमारे जंगल बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, लाइफस्टाइल की दृष्टि से दुनिया के अन्य देशों से भिन्न हैं।

इसलिए भारत में जिसे हम वन कहते हैं, वे सांस्कृतिक महत्व के इसलिए भी हैं कि अभी पांच साल पहले जब यू.एस. में इंटरनेशनल फॉरेस्ट कांफ्रेंस हुई तो दुनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया कि फॉरेस्ट पीस के लिए भी है, शान्ति के लिए भी है। भारत ने अपना जो ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम कहते हैं कि जंगल में हमारे उपनिषदों की, वेदों की रचना हुई और इसलिए जो लम्बे समय से हमारे लोग इस वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। मैं विषय को यहीं से प्रारम्भ करूंगा। मनोज जी ने विषय को उठाया और अभी संजय जी ने भी विषय उठाया। यह बात अलग है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि मनोज जी ने कल यू.एस. के रास्ते पर जाने को क्यों कहा, लेकिन हमने जब यह बिल बनाया, हमारे यहां पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमने कूनो में भी जिनको पुनर्स्थापित किया, विस्थापित नहीं, हमने पुनर्स्थापित किया, लेकिन जब पुनर्स्थापना का जो प्रोसेस चलता है, इसमें जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके लिए हमने इस बिल में क्या प्रोविज़न किया "In Section 35 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely, sub-Section (3B)." हमने इस बिल में क्या प्रोविज़न किया है, "Till such time as the rights of the affected persons are finally settled under Sections 19 to 26A [both inclusive except clause (c) of sub-section (2) of Section 24], the State Government shall make alternative arrangements required for making available fuel, fodder and other forest produce to the persons affected, in terms of their rights as per the State Government records."

लेकिन उससे पहले हमारा यह जो कहना है कि उनके जो स्थानीय फ्यूल, फॉडर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनके जो राइट्स हैं, वे तब तक पूरे माने जाएँगे, जब तक कि उनका पूरे तरीके से पुनर्स्थापन न हो जाए। यह इस बिल की संवेदनशीलता को दिखाता है।

दूसरा, "(2A) Where a community reserve is declared on private land under sub-section (1) of section 36C, the community reserve management committee shall consist of the owner of the land, a representative of the State Forests or Wild Life Department under whose jurisdiction the community reserve is located and also the representative of the Panchayat concerned or the tribal community, as the case may be." इसलिए हम जो पुनर्स्थापन चाहते हैं, हम सबके सहयोग से, सबके विकास से और सबको साथ लेकर चलते हैं। यही प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का मंत्र है - "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास"।

मैं विशेष रूप से सदन की स्टैंडिंग कमिटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी बिल स्टैंडिंग कमिटी के सामने जाता है, सेलेक्ट कमिटी के सामने जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ सजेशंस भी आते हैं, अच्छे इनपुट्स भी आते हैं, कमिटी का विज़्डम भी होता है, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन भी होता है और यह आवश्यक है। यह जयराम जी की कमिटी में गया। जयराम जी ने हमें तीन विषय कहे। उन्होंने पहला कैप्टिव एलिफैंट के लिए कहा; दूसरा, उनका कहना था कि हमने स्टेट स्टैंडिंग कमिटी को एक्स्ट्रा पावर दी और तीसरा, उनका कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से सूची को इस बिल में लगाने को कहा था, उस हिसाब से हमने सूची को नहीं लगाया। यहाँ पर बहुत बार हमारी सरकार के लिए और हमारे लिए यह कहा गया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर

को ले रहे हैं। यह तो वाइल्ड लाइफ की पावर ही तब आई, जब 42वाँ अमेंडमेंट आपके समय में आया। आपने स्टेट की पावर लेकर इसको कन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में लिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री भूपेन्द्र यादवः आप भी समझ लें। यह आवश्यकता होती है। हमारा संविधान गतिशील संविधान है। इसी सदन ने इसी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी जैसा हिस्टोरिक लॉ बनाया, जिसमें राज्य की विधान सभाएँ और केन्द्र की संसद ने अपनी पावर एक जीएसटी काउंसिल को दी और देश के फेडरलिज्म को, जो कोऑपरेटिव और फ्रेंडली संघवाद है, उसमें परिवर्तित किया और सहकारिता को सहभागिता में परिवर्तित करके देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब अगर हम राज्यों में ज्यादा पावर देना चाहते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेशः एक मिनट, यह गलत आर्ग्युमेंट है। एक मिनट, प्लीज़ आप यील्ड कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे आर्ग्युमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र यादवः नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्ग्युमेंट का जवाब दे रहा हूँ।

श्री जयराम रमेशः एक मिनट, एक मिनट, प्लीज़। देखिए, ईमानदारी से आप सुनिए, जो मैंने कहा। मैंने कहा कि आज एक स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसके कुछ अधिकार हैं, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। अभी आप इस बिल से क्या कर रहे हैं, उस स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमिटी होगी, मिनिस्टर कन्सर्न्ड उसकी अध्यक्षता करेंगे और 10 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। उसमें सब अफसर होंगे, सब रबर स्टांप होंगे! मेरी चिंता यह है। आप अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कमजोर कर रहे हैं। आप मुख्य मंत्री को हटा रहे हैं और अपने एक मंत्री को वहाँ बिठा रहे हैं। आपके नहीं, स्टेट के मंत्री को बिठा रहे हैं। हमारा सुझाव यह था कि इस 10 सदस्यों वाली समिति में आप बाहर से चार या पाँच विशेषज्ञ लाएँ, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहें। आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल की समिति मत बनाइए। यही आर्ग्युमेंट था। आप यह गलत कह रहे हैं कि हम कहते रहे कि ये अधिकार छीन रहे हैं।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय जयराम जी, आपने अपना प्वाइंट कह दिया। माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय उपसभापति महोदय, हम देश में यह कैसी राजनीतिक बहस खड़ी करना चाहते हैं। जब हम संसद को पढ़ते हैं, जब हम संसदीय परंपराओं को पढ़ते हैं, तो मंत्रिमंडल सामूहिकता के आधार पर काम करता है, मुख्य मंत्री तो उसका नेतृत्व करते हैं। देश की जनता उनको चुनती है, तो क्या आप देश की जनता में अविश्वास करते हैं? क्या देश की जनता

ने अपनी बुद्धि क्षमता का पूरा उपयोग करके अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव नहीं किया और एक दल को सत्ता नहीं सौंपी? इसका मतलब यह हुआ कि आप यह मानते हैं कि अगर किसी मंत्री की अध्यक्षता हो गई, तो गलत निर्णय हो गया। वह जन-प्रतिनिधि है, संविधान की ओथ ले रहा है, संसद सदस्य की ओथ ले रहा है। हम लोकतंत्र को किस तरीके से देखना चाहते हैं? लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को चेयर बनकर काम करने का अधिकार है। हमने राज्यों को ज्यादा निर्णय लेने में सक्षम बनाया है, जो संघवाद को मज़बूत करता है।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने पूछा कि हमने रिलिजियस परपज़ेज़ के अलावा अदर परपज़ेज़ को क्यों डाला है? आप को पता है कि इस बिल का जो सेक्शन-38 है, जो 1972 में बना था, जिसको आप क्लेम करते हैं, हम भी कहते हैं कि वह अच्छा बिल है। 1972 से लेकर अब तक उसी बिल से काम चल रहा है। 2004 में आपकी सरकार के रहते हुए हमने अंतरराष्ट्रीय संधि के प्रति आश्वासन भी दिया था। 1976 से हम उसी संधि के सदस्य हैं। हम बार-बार कहते रहे कि कस्टम ऐक्ट से और बाकी ऐक्ट्स से हम इसको रेगुलेट कर देंगे, लेकिन हमने रेगुलेट नहीं किया। उन्होंने 2004 में कहा कि इन सारे ऐक्ट्स की जगह आप सीधा एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम लाइए। 2005 में आपने एश्योरेंस दिया और उस एश्योरेंस को पूरा करना एक परम्परागत चलती हुई सरकार का दायित्व है। उसी दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। उसी बिल के सेक्शन-38 में ज़ू के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर हम अदर रिलिजियस परपज़ेज़ नहीं लाएंगे और अपने ही ऐक्ट के सेक्शन-38 में हमने जो पावर क्रिएट कर रखी है, उसको भी हम प्रस्तुत नहीं करेंगे अथवा उसका कोई अधिकार नहीं रखेंगे, तो हम देश में वन्य जीवों का संवर्धन कैसे करेंगे? इसको लेकर आपकी कमिटी की ही रिकमंडेशन है। उसमें आपने जो स्पेशलाइज़्ड वर्ड रिकमंड किया था, उसमें कहा था कि आज के समय में कई स्पीशीज़ अलग-अलग हैं। यह हाथी के सम्बन्ध में नहीं है, अन्य जीवों के सम्बन्ध में है, लेकिन सेक्शन-38 में ऑलरेडी ज़ू रिकोग्नाइज़्ड है, उसके पास अथॉरिटी है। इस सदन में इस विषय पर मैं यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम जो भी रूल मेकिंग का काम करेंगे, हाथियों के पूरे संरक्षण, संवर्धन को लेकर ऐक्ट के जो सारे प्रोविज़ंस हैं, उनके अनुसार ही करेंगे। हम कहीं दाएं से बाएं नहीं होंगे। हमको रूल्स में यह पावर इसलिए है, क्योंकि ये एनेबलिंग रूल्स हैं। जैसे-जैसे समय और परिस्थिति बदलती है, ये बदलते रहते हैं। रिलिजियस वर्ड तो आपकी कमिटी ने रिकमंड किया है और हम उसका भी स्वागत करते हैं। ...**(व्यवधान)**... आपके ही सेक्शन-38 में ज़ू अथॉरिटी आता है, तो क्या हम बाकी के सारे परपज़ेज़ बंद कर दें? क्या बाकी सबको छोड़ दें? ...**(व्यवधान)**...

तीसरा, मैं यह सूचित करना चाहता हूं, इस विषय को शुरू करते समय माननीय विवेक तन्खा जी ने कहा था कि इसमें थर्ड पार्टी कैसे कोई शिकायत कर सकती है। चूंकि पड़ोसी को ज्यादा अच्छे तरीके से पता होता है, इसलिए मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि अधिनियम में तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम की धारा-55 के तहत, शिकायत दर्ज कराने के इरादे से, साठ दिनों का नोटिस देकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। जो नई धारा 49-एम है, वह भी इस सम्बन्ध में लागू रहेगी।

आपने कल कहा था कि हम इसमें ईएसज़ेड को लेकर क्यों नहीं आए? सुप्रीम कोर्ट का, वन किलोमीटर का जो जजमेंट है, उसके अनुसार मैंने लगातार कहा है कि सरकार को इस बारे में संज्ञान है। सरकार इस मामले में रिव्यू में भी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट के द्वारा ही एक अथॉरिटी बनी थी, एक प्रक्रिया बनी थी, उस प्रक्रिया के द्वारा ही इकोनॉमिक सेंसिटिव ज़ोन डिक्लेयर किए जाते हैं। आज देश में 670 से ज्यादा इकोनॉमिक सेंसिटिव ज़ोन्स हैं, जिनमें से 470 ज़ोन्स का पूरा नोटिफिकेशन हम कर चुके हैं। संख्या का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतनी ही संख्या है।

जहां तक बिल का सम्बन्ध है, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 है, उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास जो इकोनॉमिक सेंसिटिव ज़ोन्स हैं, जो प्राकृतिक दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं, उनको अधिसूचित किया जाता है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के द्वारा इसको संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम इसके ऊपर लागू होता है।

सर, कनिमोझी जी ने यहाँ पर अपना विषय रखा था। उनका कहना था कि क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इस बार तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में उनके जो राइट्स हैं, जब तक वाइल्ड लाइफ एक्ट के अन्तर्गत उनको पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमने उनको संरक्षित करने के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया है।

महोदय, मैं सदन में हमारी बीजेडी की श्रीमती सुलता देव जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कल उनकी मेडन स्पीच थी। मैं उनको इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेडन स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा। हम जानते हैं कि भारत में जो 17 बायोस्फेयर क्षेत्र बने हैं, उनमें ओडिशा का जो हमारा सप्तकोसी का एरिया है, वह देश का सबसे सम्पन्न जैव विविधता का क्षेत्र है। मैं यह मानता हूँ कि ओडिशा जैसे प्रदेश में जो ह्यूमन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो हाथियों का कॉन्फ्लिक्ट है, वह सबसे ज्यादा है। मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि सामान्यतः हाथी जो चलते हैं, वे निश्चित रास्तों के ऊपर चलते हैं। जिन रास्तों से उनका नियमित आना और जाना रहता है, उनके बारे में राज्य सरकारों को हमारा यह निर्देश रहता है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी अंतर्राज्जीय आवाजाही को देखना चाहिए। उनका जो पूरा मूवमेंट होता है, उसमें हमारे झारखंड से बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर होते हुए ओडिशा में हाथियों का पूरा रूट है। **...(व्यवधान)...** नॉर्थ बंगाल में भी है, प्लस झारखंड में भी है। हमारे जयराम जी तो पूरा उस जंगल में, उधर से खरस्वां, सराइकेला होते हुए सारंडा के जंगल में मोटरसाइकिल पर घूमे हैं। उस जंगल को हमने भी देखा है, हाथियों के रूट को भी हमने देखा है। उस नाते भारत सरकार ने 2017 में दिशानिर्देश जारी किये थे। इसके लिए अंतर्राज्जीय समन्वय समिति बनाने की बात है, क्योंकि जब तक हम उनको रूट पर नहीं रोकेंगे, तो फिर उनके उन गाँवों में आकर उत्पात मचाने का विषय रहेगा। फरवरी, 2021 और जून, 2022 में भी फिर से हम लोगों ने ह्यूमन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के मामले में गाइडलाइन निकाली थी।

केरल के हमारे मित्र जॉन जो कह रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कहा कि टाइगर का क्या होगा, हमारा तो सबको बचाकर रखने का विषय है। लेकिन मैं हमारे केरल के सांसदों को कहना चाहता हूँ और मैं बार-बार कहता हूँ कि वहाँ पर आपकी सरकार है, वाइल्ड

लाइफ एक्ट का सेक्शन 11(बी) है। माननीय उपसभापति जी, चूँकि यह विषय बार-बार आता है, इसलिए मैं इसे पढ़ना भी चाहता हूँ : "(b) the Chief Wild Life Warden or the authorised officer may, if he is satisfied that any wild animal specified in Schedule II, Schedule III, or Schedule IV, has become dangerous to human life or to property, including standing crops on any land, or is so disabled or diseased as to be beyond recovery, by order in writing and stating the reasons therefor, permit any person to hunt such animal or group of animals in a specified area or cause such animal or group of animals in that specified area to be hunted." तो आपको पूरे राज्य में वर्मिन बोर करने की क्या जरूरत है? जिस क्षेत्र में नुकसान है, आपको पावर है। फरवरी, 2021 और जून, 2022 में हमने गाइडलाइन निकाली है। केरल सरकार ने 11 बार उसका प्रयोग किया है। आप बार-बार इस विषय को उठा कर लोगों की सेवा नहीं करते, आप राजनीतिक विषय क्यों बनाते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ, **...(व्यवधान)...** मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अधिकार आपके अन्तर्गत है, जिस अधिकार के लिए हमने गाइडलाइन निकाल रखी है, जिस अधिकार को हमने कानून के द्वारा दे रखा है, आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते। राज्य की जनता को भी हम कहते हैं कि क्यों आप उसका प्रयोग नहीं करते, जब सरकार की गाइडलाइन है? केवल हमें भाषण देना है! केवल हमें किसी भी विषय को गुमराह करना है! **...(व्यवधान)...**

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is a cumbersome process.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John, please. *...(Interruptions)...*

श्री भूपेन्द्र यादव : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप प्लीज़ चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय उपसभापति जी, इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से यह कहना है कि हमारा जो मुख्य विषय है, वन्य जीवों का भी संरक्षण होना चाहिए, स्थानीय समुदायों का भी संरक्षण होना चाहिए और हमारे जो समुदाय लम्बे समय से वहाँ पर रहते आ रहे हैं- उसका प्रे एरिया, जो हमारे प्रफुल्ल पटेल जी ने अपने भाषण में कहा, निश्चित रूप से जो भी जंगल है, उसके प्रे एरिया की हम सबसे पहले जाकर चिन्ता करते हैं। हम जब भी वाइल्ड लाइफ में जाकर वन अधिकारियों के साथ कोई भी मीटिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रे एरिया देखते हैं। आप यह मान कर चलिए कि जंगल में टाइगर रहेगा, लॉयन रहेगा, चीता रहेगा, तभी संतुलन रहेगा। अगर जंगल में सभी वन्य जीव रहेंगे, तभी वहाँ का संतुलन रहेगा। यह नेचर का सिद्धांत है। यह प्रकृति का सिद्धांत है और जो प्रकृति का सिद्धांत है, हमें उसके हिसाब से ही उसकी व्यवस्था बना कर रखनी चाहिए। हमारे अधिकारी उसमें पूरे तरीके से लगे हुए हैं।

अयोध्या रामी रेड्डी जी ने उल्लेख किया कि कुछ प्रजातियाँ अनुसूचियों से गायब हैं। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि अनुसूचियों में संशोधन करने तथा उसमें प्रजातियों को जोड़ने

की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत अच्छे इंस्टिट्यूट्स हैं। जयराम जी भी पर्यावरण मंत्री रहे हैं, इनका भी अच्छा योगदान रहा है। हमारे देश में इस क्षेत्र में बहुत अच्छे इंस्टिट्यूट्स हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) है, जेडएसआई है, बीएसआई है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आईआईएफएम है। ये दो-तीन इंस्टिट्यूट्स तो लगभग सौ साल पुराने हो गए हैं और इनके पास जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, जो विज़्डम है, अभी कोयम्बटूर में एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्री जेनेटिक्स को लेकर अच्छे काम कर रहे हैं। आईसीएफआरई जैसा बड़ा इंस्टिट्यूट इस देश के पास है। हमारे ये सारे साइंटिस्ट्स इसका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं और उसके हिसाब से ही हम इनको जोड़ने का काम करते हैं।

जी.के. वासन जी ने भी इस डिबेट में भाग लिया और उन्होंने भी वर्मिन वाला विषय उठाया और यह स्पष्टीकरण चाहा कि इसको किस प्रकार से वर्मिन घोषित किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि डा. जॉन ब्रिटास और वासन जी ने जो विषय उठाया, मैंने उसका विस्तार से जवाब दिया है। हम एकदम से किसी प्रजाति को पूरे राज्य से खत्म कर दें, जब पर्टिकुलर एरिया में आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, आप एक पर्टिकुलर जानवर को भी घोषित कर सकते हैं और एक ग्रुप को भी घोषित कर सकते हैं। अगर कोई क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाता है, तो उसको भी हमने संपत्ति के अंतर्गत माना है। मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकारों को अपनी विज़्डम, नीति-निर्णय के साथ और सबसे ज्यादा अपनी गरीब जनता के हक में त्वरित रूप से निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिए सरकारें चला करती हैं, जैसे कि केन्द्र सरकार निर्णय लेकर दिखाती है। आपको भी इसका अनुकरण करना चाहिए।

अनिल प्रसाद हेगडे जी ने फसल नुकसान के संबंध में विषय उठाया। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि फसल के नुकसान के लिए भी हमने पूरी एडवाइज़री जारी की है। जोस के. मणि जी के विषय दावा न्यायाधिकरण के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूँ कि उसमें भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या चोट लगती है, तो इसके लिए हमने अपनी एडवाइज़री में पूरी राशि देने की व्यवस्था भी की है। कनकमेदला रवींद्र कुमार जी ने अपने विषय को रखते हुए पालतू और बंदी हाथियों को एक अलग श्रेणी में शामिल करने के लिए सूचित किया है। उन्होंने कहा है कि बंदी पशुओं को अलग से रखा जाए। मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने इस एक्ट में इस संबंध में प्रावधान किया है।

महोदय, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरे तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में वन्य क्षेत्रों का दायरा बढ़े। मैं वन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के संबंध में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...** बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा है कि हम अंधाधुंध परमिशन दे रहे हैं, बिना देखे हुए परमिशन दे रहे हैं। कुमार केतकर जी कह रहे थे कि सरकार पूरे तरीके से जंगलों को कटवा रही है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि देश में सन् 2004 से 2014 तक, यानी दस सालों में 2,26,682 हेक्टेयर जंगल डायवर्ट हुआ। इसका औसत प्रति वर्ष 22,668 हेक्टेयर हुआ। हमारी सरकार के समय में, यानी 2014 से 2022 तक 1,30,703 हेक्टेयर जंगल डायवर्ट हुआ, जिसका वार्षिक औसत पिछले दस साल के वार्षिक औसत से कम है, यानी यह

16,337 हेक्टेयर है। इस प्रकार से हमने कम जंगल डायवर्ट किया और देश का ज्यादा विकास किया।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो कम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन है, अगर 10 सालों का औसत देखा जाए, तो वह केवल 28,372 हेक्टेयर था और अगर एनुअली देखा जाए तो वह बढ़कर 37,845 हेक्टेयर हुआ है। इस तरह, देश में हमारा जो ग्रीन कवर बढ़ाने का कमिटमेंट है, उसको भी हमने बढ़ाने का प्रयास किया है।

राकेश सिन्हा जी ने हमारी इकोनॉमी, ईकोलॉजी और एन्फोर्समेंट के विषय को कहा और निश्चित रूप से देश में इनको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी एक बात यह कही कि नेशनल हाइवेज़ और रास्तों के विषय में डब्ल्यूआईआई के साथ मिलकर काम किया जाना चाहिए। जयराम जी को भी पता है कि हमने कुछ अच्छे डिज़ाइन भी बनाए हैं और देश में पहला अच्छा प्रयोग पेंच में तब हुआ था, जब हम ऊपर से हाइवे को लेकर गए थे। अभी अलवर में सरिस्का के पास भी एक ऐसा अध्ययन चल रहा है, ताकि उसके नीचे जानवरों का जो एरिया है, वह भी डिस्टर्ब न हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना वन्य क्षेत्र में जाते हैं, उतना ही आपको प्रकृति के स्वभाव को जानने का, सीखने का अवसर मिलता है। हमने उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि हमारा पूरा फ्लोरा और फॉना अव्यवस्थित न हो। हमने अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में यह भी कहा है कि जो तार निकाले जाते हैं या बाकी भी जो उपयोग किया जाता है, उसके जो मिटिगेशन मेज़र्स हैं, उनमें क्या तरक्की हुई, उसकी रिपोर्ट भी हमने माँगी है, ताकि जंगल के कम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन के लिए हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन लक्ष्यों को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, यह पता चल सके और हमारी सरकार उसके लिए भी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हमने रेलवे, डब्ल्यूआईआई और पर्यावरण मंत्रालय के साथ बैठक की है। हमने देश में 1,800 किलोमीटर के एक ऐसे क्षेत्र की पहचान की है, जहाँ से हाथियों के अधिकतम निकलने का रास्ता है। उनके डिज़ाइन को लेकर डब्ल्यूआईआई ने अपने कुछ सजेशंस दिए, रेलवे ने कुछ जगहों को प्रयोग के तौर पर भी आगे बढ़ाने की बात कही है।

सुष्मिता जी ने अपने विषय को रखते समय यह कहा कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन क्यों नहीं ले आए? हम नगोया प्रोटोकॉल में एक अलग संधि के नाते उस विषय को करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा विषय यह है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जिनके एबीएस राइट्स हैं, वे एबीएस राइट्स उनको एश्योर होकर कैसे मिलें, सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारा यह जो वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, यह अलग संधि से है। इन दोनों में कुछ समानता है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं और इसलिए उसमें पेटेंट, कॉपीराइट और बाकी चीज़ें ज्यादा हैं। अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट में देखा जाए तो जंगली जीवों का संरक्षण, उनका अवैध व्यापार, ये ज्यादा हैं। इस प्रकार, दोनों में समानता होते हुए भी इन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग-अलग है।

इसी के साथ, इंदु गोस्वामी जी, अब्दुल वहाब जी, कामाख्या प्रसाद जी और प्रियंका जी ने यह विषय उठाया था कि गुरुग्राम में अरावली को लेकर हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरावली को लेकर हरियाणा सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण किया है और इस पूरे ज़ोन को हम किस प्रकार से हरा-भरा रखें, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली

में राजस्थान के थार के मैदानों से जो हवा आती है या जो रेत आती है, उसके लिए भी अरावली एक बड़ी भूमिका निभाता है। उस पर निश्चित रूप से काम चल रहा है।

शंभू शरण जी, संजय जी और सीमा द्विवेदी जी ने भी अपने विषय रखे और अन्य सदस्यों ने भी अपने विषय रखे हैं। मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से बिल को रखते समय सदन का कंसेंसस लेना जरूरी है, फिर भी जयराम जी, आपने जो आशंकाएँ जताई हैं, उन पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके लिए नियमों में ज्यादा व्यवस्था है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 38 का भी पालन करना है, उसको भी हम संरक्षित करके रखना चाहते हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: About Jallikattu.

श्री भूपेन्द्र यादव: जल्लीकट्टू निश्चित रूप से तमिलनाडु की हमारी एक सांस्कृतिक परम्परा और उसका हिस्सा है। उसके बारे में न्यायालय के भी निर्णय हैं। हमारा मानना है कि इसमें निर्णयों का भी पालन होना चाहिए और उसके साथ-साथ परम्परा और संस्कृति का भी पालन होना चाहिए, इन दोनों में समन्वय बनाकर रखा जाना चाहिए।

मेरा इस सदन से अनुरोध रहेगा कि यह एक संवेदनशील विषय था, जिस पर प्रकृति, जनजीवन, जंगल और सबके बारे में हम लोगों ने बड़ी संवेदना के साथ अपने विषय रखे हैं। मैं कल के अपने विषय को दोहराना नहीं चाहता हूँ। भारत ने इस बार CITES में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल की है, आने वाले समय में भी जब हम दुनिया में पर्यावरण की बात करते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी की एन्वायर्नमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल 'मिशन लाइफ' की बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें इस देश का जंगल भी सुरक्षित रहे।

इसके साथ-साथ, मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते समय यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स की बातें कीं और उसके लिए हमारे देश के वेटलैंड्ज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रामसर ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत ऐसे वेटलैंड्ज़, जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाकर संरक्षित करना चाहते हैं...भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में देश की 75 वेटलैंड्ज़ अब हमारी रामसर साइट्स में हैं, जो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 11, there is one Amendment (No.1) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 11- AMENDMENT OF SECTION 29

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): I am moving the Amendment. It is to retain the *status quo* of State Board. Sir, I move:

1. That at page 3, line 28, be ***deleted.***

The question was put and the motion was negatived.
Clause 11 was added to the Bill.
Clauses 12 to 26 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 27, there is one Amendment (No.2) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 27- AMENDMENT OF SECTION 43

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

2. That at page 5, clause 27 be ***deleted.***

The question was put and the motion was negatived.
Clause 27 was added to the Bill.
Clauses 28 to 37 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 38, there is one Amendment (No.3) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 38-AMENDMENT OF SECTION 62

DR. JOHN BRITTAS : I am moving it. It is to empower the States to declare a vermin. Sir, I move:

3. That at page 13, ***for*** lines 2 and 3, the following be ***substituted***, namely,:-

"(a) for the words and figures "The Central Government may, by notification, declare any wild animal other than those specified in Schedule I and Part II of

Schedule II" the words and figures "The Central Government or the State Government, as the case may be, may, by notification, declare any wild animal specified in Schedule II" shall be substituted;".

The question was put and the motion was negatived.

Clause 38 was added to the Bill.

Clauses 39 to 41 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bhupender Yadav to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the next Business is the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022. Shri Raj Kumar Singh to move a motion for consideration of the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.

The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022

THE MINISTER OF POWER; AND THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI RAJ KUMAR SINGH): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इस बिल के संबंध में बताएं।

श्री राज कुमार सिंह: उपसभापति जी, बीते कुछ दशकों से पर्यावरण में डिटिरिओरेशन की चिंता पूरी दुनिया को सताती रही है। इसके लिए कई सारे कांफ्रेन्सेज़ हुए-जैसे क्योटो हुआ, उसके बाद CoP - जो कांफ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ for combating climate change के अंतर्गत कांफ्रेन्स ऑफ दि पार्टीज़ है, की बैठकें हुईं। इन सभी बैठकों में विभिन्न देशों ने अपने एमिशन्स को कम करने के लिए, एनर्जी ट्रांज़िशन करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कमिटमेन्ट्स